लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

1 मार्च, 1968/11 फाल्गुन, 1889 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
392	प्रश्न संख्या 362 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी पाठ पढ़िये :--

Report on Planning by the Study Team of Administrative Reforms Commission

362 Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have received the final report of the Study Team of Administrative Reforms Commission on Planning:

(b) if so, the main recommnedations thereof; and

(c) the action taken by the Government on those recommendations?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri V.C. Shukla): (a) The study team on planning machinery has submitted their final report to the Administrative Reforms Commission

(b) & (c): The recommendations of the study team are given in their report, a copy of which has been placed in the Parliament Library. The recommendations made by the

विषय-सूची/Contents

अंक 14—शुक्रवार, 1 मार्च, 1968/ 11 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 14, Friday, March 1, 1968/ Phalguna 11, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
361.	काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में गोलमेज कांफ्रेंस	Round Table Conference on Kashmir Problem	385
363.	काश्मीर समस्या	Kashmir Problem	385-392
362.	आयोजन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report on Planning by the Study Team of Administrative Reforms Commission	392-400
364.	भाषा के प्रश्न से उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation arising out of Language Issue	

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
365.	पश्चिमी बंगाल में अन्तर्देशीय जलमार्ग	Inland Waterways in West Bengal	401
366.	चलचित्रों के प्रदर्शन पर आन्दोलन	Agitation on Exhibition of Films	401-402

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
367.	भारत नेपाल सीमा में चीन के एजेन्टों का प्रवेश	Entry of Chinese Agents into Indo-Nepal Border	402
368.	राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Rajasthan	402-403
369.	भारत रूस वैज्ञानिक सहयोग	Indo-U.S.S.R. Scientific Collaboration	403
370.	शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तान की प्रस्तावित यात्रा	Proposed visit to Pakistan by Sheikh Abdullah	403-404
371.	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण	Separattion of Judiciary from Executive	404
372.	दिल्ली का राजनैतिक ढांचा	Political set up of Delhi	404-405
373.	जहाजों का निर्माण	Construction of Ships	405
374.	जहाजों की मरम्मत करने वाली फर्मों को स्थलीय गोदियाँ पट्टे पर दी जाना	Leasing of dry Docks to Ship Repair Firms	405-406
375.	चीन समर्थक साप्ताहिक पत्रिका रैवोल्यूशनरी फ्लेम	Pro Chinese Weekly Revolutionary Flame	406
376.	पर्यटकों द्वारा अपराध	Crimes by Tourists	406-407
377.	जम्बो जेट विमानों के लिये ऋण	Loan for Jumbo Jets	407
378.	राष्ट्रीय एकता परिषद्	National Integration Council	407
379.	भारत में विदेशी धन का प्रयोग	Role of Foreign Money in India	408
380.	एशियन ब्रदरहुड नामक संस्था	Asian Brotherhood	408
381.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये बैट्रियाँ	Batteries for I.A.C.	408-409
382.	गोहाटी में एक विमान द्वारा बाँटे गए पर्चे	Leaflets Distributed by a Plane in Gauhati	409
383.	सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि	Extensions to Government Employees	409-410
384.	राज्य प्रशासन के काम के लिये हिन्दी को अपनाना	Adoption of Hindi for State Administration	410
385.	छिपे हुए नागाओं के शिविर में सशस्त्र विदेशी	Armed Foreigners in Underground Nagas' Camp	410-411

ता० प्र० संख्या
S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
386. विदेशी धर्मप्रचारकों का कथित षडयंत्र	Alleged conspiracy of Foreign Missionaries	411
387. पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pakistani Infiltration	411-412
388. मृत्यु दण्ड को समाप्त करना	Abolition of Capital Punishment	412
389. रेल और सड़क परिवहन का समन्वय	Co-ordination between Rail and Road Transport	412
390. सीमा विवादों के संबंध में महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report on Border Disputes	412

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

2309. हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये अनुदान	Grant for Promotion of Hindi	412-413
2310. इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ रशियन स्टडीज	Indian Institute of Russian Studies	413-414
2311. वामपंथी साम्यवादियों द्वारा कलकत्ते में भूमि की खरीद	Purchase of Land by Left Communists in Calcutta.	414
2313. संग्रहालयों में अनुसंधान	Research in Museums	414
2314. भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के विद्यार्थियों का विदेश जाना	I. I. T. Students going Abroad	414-415
2315. आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Andhara Pradesh	415
2316. केन्द्रीय रक्षित निधि से आंध्र प्रदेश के लिये धन दिया जाना	Release of Amount from C. R. F. for Andhra Pradesh.	415-416
2317. हैदराबाद नागपुर राष्ट्रीय राजपथ	Hyderabad Nagpur National Highway	416
2318. भारतीय सांख्यिकीय सेवा	Indian Statistical Service	416-417
2319. अन्दमान द्वीप में नारियल और सुपारी के क्रय मूल्य	Purchase Prices of Copra and Betelnut in Andman	417-418
2320. नैपाली प्रव्रजनकों की नागरिकता	Citizenship of Nepali Migrants	418

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2321.	राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Rajasthan	418
2322.	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	419
2323.	हिन्दी साहित्यरत्न परीक्षा, प्रयाग	Hindi Sahitya Ratan Examination, Prayag	419
2324.	काकिनाडा पत्तन	Kakinada Port	419-420
2325.	आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण कार्य	National Highway Works in Andhra Pradesh	420-421
2326.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7	National Highway no. 7	421-422
2327.	गोदावरी पर पुल	Bridges Acorss Godavari	422
2328.	विशाखापत्तनम तक उप-मार्ग	By Pass to Visakhapatnam	422-423
2329.	राजस्थान में विमान सेवायें	Air Services in Rjasthan	423
2330.	सीमावर्ती क्षेत्रों में वाम-पंथी साम्यवादियों की गतिविधियाँ	Activities of Left Communists in Border Areas	423
2331.	पंचवर्षीय योजनाओं के लिये संसदीय समिति	Parliamentary Committee for Five Year Plans	423-424
2332.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के स्थान पर नई योजना	New Scheme to replace N. C. C.	424
2333.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम	Media for UPSC Examinations	424-425
2334.	दिल्ली में गुण्डों की गिरफ्तारी	Arrests of Goondas in Delhi	425
2336.	दिल्ली में सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल	Aided Higher Secondary Schools in Delhi	425-426
2337.	एक ब्रिटिश राष्ट्रजन के लापता हो जाने का समाचार	Alleged Disappearnace of a British National	426
2338.	कुकी लोगों का आक्रमण	Attack by Kukis	426--427
2339.	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग	People of Rajasthan Border Areas	427
2340.	राजस्थान के राज्यक्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Instrusions by Pakistanis into Rajasthan Territory	427-428
2341.	विदेशों में मंत्रियों की यात्रा	Tour of Ministers Abroad	428

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2342.	जम्मू में पाकिस्तानी नावों द्वारा अतिक्रमण	Intrusions by Pakistani Boats in Jammu	428
2343.	राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. Infiltrators in Rajasthan	428
2344.	दिल्ली पुलिस संबंधी खोसला आयोग	Khosla Commission on Delhi Police	429
2345.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्य संचालन	Functioning of Council of Scientific and Industrial Research	429-430
2346.	राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements on Rajasthan Pakistan Border	430
2347.	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा मद्यसारिक तथा गैर मद्यसारिक पेयों की खरीद	Purchase of Alcoholic and Non-Alcoholic drinks by Indian Airlines Corporation	430
2348.	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा	Free and Compulsory Education	430-431
2349.	उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending in High Courts	431
2350.	बिहार में नक्सलबाड़ी जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयत्न	Attempt to create Naxalbari like situation in Bihar	431-432
2351.	उप-कुलपतियों का सम्मेलन	Vice-Chancellors' Conference	432
2352.	कलकत्ता ट्राम्वे कम्पनी जाँच आयोग	Calcutta Tramway Co. Inquiry Commission	432-433
2353.	विदेशों में छात्र	Students in Foreign Countries	433
2354.	अंदमान के जहाजों में यात्रा करनेवाले यात्रियों से उतरने का शुल्क लिया जाना	Landing Charges on Passengers travelling on Andaman Vessels	433-434
2355.	भारतीय समाचारपत्रों के लिये सी०आई०ए० से धन	C.I.A. Money for Indian Newspapers	434
2356.	दिल्ली में भूमि सम्बन्धी नीति	Land Policy in Delhi	439

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2357.	ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त की केरल के मुख्य मंत्री से मुलाकात	Meeting of British Deputy High Commissioner with Kerala Chief Minister	434-435
2359.	जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत संबंधी समिति	Committee on Ship Building and Ship Repair	435
2360.	केन्द्रीय सरकार के अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नति में गतिरोध	Stagnation among Ministerial Employees of the Central Government	435-436
2361.	पुलिस अधिकारियों को सी० आई० ए० द्वारा कथित भुगतान	Alleged C. I. A. Payments to Police Officers	436
2362.	हैदराबाद में सतर्कता आयुक्तों की बैठक	Meeting of Vigliance Commissioners in Hyderabad	436
2363.	एक लिपि	Common Script	436-437
2364.	हवाई अड्डा अधिकारी	Aerodrome operators	437
2365.	गणतंत्र दिवस को ड्यूटी पर तैनात दिल्ली के पुलिसमैनों को मध्याह्न भोजन भत्ता	Lunch Allowance for Delhi Policemen on Duty on Republic day	437-438
2366.	वनस्थली हवाई अड्डा	Vanasthali Aerodrome	438
2367.	राजनैतिक दलों की स्वयंसेवक सेनाएं	Volunteer Forces of Political Parties	438
2368.	एक अमरीका राष्ट्रजन का नियत से अधिक समय भारत ठहरना	Overstaying of an American National	438-439
2369.	गांधी हरिजन विद्यालय (दिल्ली)	Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir (Delhi)	439
2371.	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Delhi University	439
2372.	गृह-मंत्री की गोया यात्रा	Home Minister's Visit to Goa	440
2373.	नई दिल्ली में संसद् भवन के निकट गिरफ्तार किये गये लोग	Persons arrested near Parliament House, New Delhi.	440

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2374.	कानून और व्यवस्था के बारे में राज्यों से रिपोर्ट	Reports from States on Law and Order	440
2375.	महाजन आयोग	Mahajan Commission	440-441
2376.	एयर इंडिया के लिये सुपारी, कैंडी आदि की खरीद	Purchase of supari, Candy etc. for Air India	441
2377.	एयर इंडिया द्वारा मद्यसारिक तथा गैर मद्यसारिक पेयों की खरीद	Purchase of Alcoholic and Non-Alcoholic Drinks by Air India	441-442
2378.	निजी थैलियों को समाप्त करना	Abolition of Privy Purses	442-443
2379.	बंगलोर विश्वविद्यालय के परिसर में पुलिस का घुसना	Entering of Police in Bangalore University Campus	443
2380.	भारतीय नौवहन	Indian Shipping	443-444
2381.	राजनैतिक पैंशनें	Political Pensions	444
2382.	जम्बो जेट विमानों के लिए हवाई अड्डों का विकास	Development of Aerodromes for Jumbo Jets	444
2383.	हरियाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इंजीनियरी के विद्यार्थियों की हड़ताल	Haryana, H. P. and Punjab Engineering Student's Strike	445
2384.	तिहाड़ जेल, दिल्ली	Tihar Jail, Delhi	445
2385.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लाठी प्रहार	Lathi Charge in Kurukshetra University	445-446
2386.	मोटर गाड़ियों की पंजीयन संख्या	Registration numbers of Vehicles in Hindi	446
2387.	केरल में इश्तहारों द्वारा माओ समर्थक प्रचार	Pro-Mao Propaganda posters in Kerala	446
2388.	प्रादेशिक भाषाओं में शब्दावली	Terminology in Regional Languages	446-447
2389.	कलकत्ता में मार्क्सवादियों की गुप्त बैठक	Secret Meeting of Marxist in Calcutta	447
2390.	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	Central Vigilance Commissioner	447
2391.	राजकीय गोपनीय जानकारी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ	Action under official Secrets Act	447

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2393.	उड़ीसा जाँच आयोग	Orissa Commission of Inquiry	448
2394.	बिहार में पार्श्विक सड़क परियोजना	Lateral RoadProject in Bihar	448
2395.	भाड़े की दरें	Freight Rates	448-449
2396.	विमान दुर्घटना की जाँच	AIR Crash Enquiry	449
2397.	आजाद हिन्द फौज का स्मारक	I. N.A. Memorial	449
2398.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Staff	449-450
2399.	विदेशी प्रतिष्ठान	Foreign Foundations	450-451
2400.	पश्चिम बंगाल में सीमा-सुरक्षा दल	Border Security Force in West Bengal	451
2401.	कोणार्क का विकास	Development of Konark for Tourism	451-452
2402.	उड़ीसा में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Orissa	452
2403.	पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी तट पर बन्दरगाहों का विकास	Development of Ports on the Eastern and South Eastern Coast	452-453
2404.	तकनीकी कर्मचारी वर्गपंजी	Technical Staff Register	454
2405.	गुजरात के तटवर्ती मैदान में पुरातत्वीय खोज	Archaeological Expedition in Gujarat Coastal Plain	454-455
2406.	माल वाहक जहाज	Cargo Ships	455
2407.	देश में होटलों में ठहरने का स्थान	Hotel Accommodation in the Country	456
2408.	त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	Three Years' Degree Course	456
2409.	मेक्सीको में अन्तर्राष्ट्रीय खेल	World Olympics in Maxico	456-457
2410.	दिल्ली की यातायात समस्या	Traffic Problem of Delhi	457
2411.	"इन्साफ" द्वारा आयूब के समर्थन में प्रचार	Pro-Ayub Propaganda by Insaf	457
2412.	संस्कृत के अनुसंधान में वृद्धि	Promotion of Sanskrit Research	457-458
2413.	बोरिक बहादुर नामक जहाज का डूबना	Sinking of Ship 'Boria Bahadur'	458
2414.	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय का सड़क विभाग	Roads Wing of the Ministry of Transport and Shipping	458-459
2415.	मद्रास में माओ समर्थक इश्तहार	Pro-Mao Posters in Madras	459

तारांकित प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2416.	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम	Unlawful Actitivies (Prevention) Act	459
2417.	नववर्ष-दिवस समारोह	Observance of New Year Days	459-460
2418.	सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A. R. C. Recommendations on Classification of Services	460
2419.	राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों में गलत नक्शे	Erroneous Maps in Text-Books in Rajasthan	460
2420.	बालकों को कक्षाओं में दिखाने के लिये विज्ञान संबंधी फिल्में	Class room Science Films for Children	460-461
2421.	डम डम पर विमान दुर्घटना	Air Crash at Dum Dum	461
2422.	खाद्य समिति के लिए कानूनी शक्तियां	Statutory powers for Food Committee	461
2423.	हिन्दी का अध्यापन	Hindi Teaching	461-462
2424.	गाँधी हत्या अणि मी	Ghandi Hatya Ani Mi	462
2425	नाथद्वारा मन्दिर में विश्व-विद्यालय	Universsity at Nathdwara Mandir	462
2426.	नई दिल्ली में साउथ एवेन्यु में अपहरण का मामला	Kidnapping case in South Avenue, New Delhi	462-463
2427.	इंजीनियरी ग्रेजुएट	Engineering Graduates	463
2428.	मिजो विद्रोहियों द्वारा छापे	Raids by Mizo Hostiles	463
2429.	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	463-464
2430.	भारत प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	Training for IAS Officers	464
2431.	राजस्थान के एक स्कूल पर पाकिस्तानी झण्डे का फहराया जाना	Hositing of a Pak. Flag at a School in Rajasthan	464
2432.	खाद्य जोनों का समाप्त किया जाना	Abolition of Food Zones	464-465
2434.	नक्सलबाड़ी की घटनाओं से संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी	Recovery of documents connected with Naxalbari movement	465

अता० प्र० सख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2435.	हरील घाटी में मिजो विद्रोहियों की गतिविधियाँ	Mizo activities in Haril Valley	465
2436.	नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली शहर	New Delhi Municipal Committee and Delhi City	465-466
2437.	आदिम जाति क्षेत्रों में इसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियाँ	Activities of Christian Missionaries in Tribal areas	466
2438.	काशी विद्यापीठ के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scale of Teachers of Kashi Vidya Peeth	466-467
2439.	काशी विद्यापीठ	Kashi Vidya Peeth	467
2440.	मेरठ की नादिर अली एण्ड कम्पनी	Nadir Ali & Co. of Meerut	467
2441.	ताजमहल के लिए पर्यटन सुविधायें	Tourist facilities at Taj Mahal	467-468
2442.	अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन, 1968	International Tamil Conference, 1968	468
2443.	कर्मचारी संबंध के संबंधों में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Administrative Reforms Commission Recommendations on Personnel Reforms	468-469
2444.	कोचीन पत्तन में जहाजों के ठहरने की सुविधायें	Berthing facilities at Cochin Port	469
2446.	शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission Report	469-470
2447.	भारतीय अमरीकी शिक्षा संस्थान	Indo-US Education Foundation	470
2448.	भारत रक्षा नियम	Defence of India Rules	470
2449.	नागालैण्ड के लिये पृथक राज्यपाल	Separate Governor for Nagland	471
2450.	मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेज	Engineering Colleges in Madya Pradesh	471
2451.	भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति	Detenues of DIR	471
2452.	मध्य प्रदेश में पर्यटन	Tourism in Madhya Pradesh	471-472
2453.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway Works in Madhya Pradesh	472

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

		Subject	पृष्ठ/ Pages
2454.	मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा	Girls Education in Madhya Pradesh	472-473
2455.	बड़े तेलवाहक तथा भारतीय जहाजरानी निगम	Super Tankers and and Shipping Corporation of India	473
2456.	केन्द्रीय स्कूल संगठन	Central Schools Organisation	473
2457.	पब्लिक स्कूल	Public Schools	473
2458.	शाहदरा के बौद्ध बिहार का गिराया जाना	Demolition of Budha Vihar in Shahadra	474
2459.	गोहाटी में औद्योगिक एककों का नष्ट हो जाना	Industrial Units destroyed in Gauhati	474
2460.	पिलानी में इंजीनियरी के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल	Strike by Engineering Students at Pilani	474
2461.	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के कार्यों में केन्द्र का कथित हस्तक्षेप	Alleged Central Interference in affairs of SGPC	475
2462.	आंध्र प्रदेश में पूर्वता अधिपत्र पर अमल	Observance of Warrant of Precedence in A.P.	475
2463.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees in C.S.I.R.	475-476
2464.	नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services	476
2465.	सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये फारमूला।	Formula for Representation of S. C. and S. T. in Services	476-477
2466.	नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आरक्षण	Reservation for S. C. and S.T. Services	477-478

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2467.	संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन मान	Pay Scales of Employees of Union Territories.	478-479
2468.	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन मान	Pay Scales of Employees of Himachal Pradesh	479
2469.	अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाये गये वेतन क्रम	UGC Grades for Teachers	479-480
2470.	पश्चिम बंगाल में नजरबन्द व्यक्ति	Detenues in West Bengal	480
2471.	राजस्थान के आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway in Advasi Backward areas, Rajasthan	480-481
2472.	केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री पर कोयम्बत्तूर में हमला	Assault on a Union Deputy Home Minister	481
2473.	कोयम्बत्तूर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का दस्ता	C.R.P. contingent at Coimbatore	481
2474.	केरल के कम्युनिस्टों के स्वयंसेवी दल	Volunteer forces of the Kerala Communists	481-482
2475.	काश्मीर का जनमत संग्रह मोर्चा	Plebiscite front of Kashmir	482
2476.	अन्डमान के विद्यार्थियों को समुद्रयात्रा के लिये आधे टिकट की रियायत	Half passage concession for Sea Voyage for students from Andaman	482
2477.	कार निकोबार द्वीपसमूह में नष्ट हुआ इस्पात के पीपों का पुल (पौंटून)	Loss of steel pontoon in Car Nicobar	482-483
2478.	भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर जलपान कक्ष	Refreshment room Bhuvneshwar Airport	483
2479.	पुरातत्वीय अभियान	Archaeological Expeditions	483-484
2480.	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Government Employees	484
2481	हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Haryana Government Employees	484-485

अता० प्रा० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2482.	राष्ट्रीय राजपथों पर पुल	National Highway Bridges	485
2485.	राजस्थान में जासूसी की कार्यवाही	Espionage Activity in Rajasthan	485
2486.	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	485-486
2487.	लचित सेना	Lachit Sena	486
2488.	शिक्षा सम्बन्धी सामग्री	Educational Material	486
2490.	मनीपुर में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Manipur	487
2491.	मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को बालक शिक्षा भत्ता	Children's Educational Allowances to Manipur Employees.	487-488
2492.	मनीपुर में शस्त्र उपधिनियम के अन्तर्गत मामला	Arms Act case in Manipur	488
2493.	मनीपुर के स्कूल अध्यापक	School Teachers of Manipur	488
2494.	न्यायालयों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Courts	488-489
2495.	केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति	Central Government Property	489
2496.	उप-कुलपति सम्मेलन	Vice Cancellors' Conference	489
2497.	विद्रोही मिजो नेताओं की मृत्यु के समाचार	Reported Death of Rebel Mizo Leaders	489-490
2498.	होटलों का वर्गीकरण	Classification of Hotels	490
2499.	गैर सरकारी कम्पनी द्वारा विमान सेवा चलाना	Operation of Air Service by Private Co.	491
2500.	चिंगशा गाँव में नागाओं द्वारा हमला	Naga Attack in Chingsha Village	491
2501.	हरियाना के सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Haryana Government Employees	491-492
2502.	सैनिक स्कूलों को छात्रवृत्तियाँ	Sainik Schools Scholarships	492
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	493-496
	श्रीलंका का भारतीय द्वीप पर तथाकथित कब्जा	Alleged Occupation of Indian Island by Ceylon	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	496-498

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	498
उन्तीसवां प्रतिवेदन	Twenty-ninth Report	
सभा का कार्य	Business of the House	499
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा	Railway Budget—General Discussion	499-504
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	
श्रीमती जयाबेन शाह	Srimati Jayaben Shah	
श्री जि० मो० बिस्वास	Shri J. M. Biswas	
श्री ना० नि० पटेल	Shri N. N. Patel	
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	504
इक्कीसवाँ प्रतिवेदन	Twenty first Report	
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) (श्री मेघचन्द्र का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of Article 368) by Shri Sriraj Meghrajji Dharangadhra	504
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 54 का संशोधन) (श्री रवि राय का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of article 54) by Shri Rabi Ray	505
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 3 का संशोधन) (श्री हेमराज का)	The Constituion (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of Article 3) by Shri Hem Raj	505
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 105 का संशोधन) (श्री रविराय का)	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of article 105) by Shri Rabi Ray	505
संविधान (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill—Withdrawn	
(अनुच्छेद 85 का संशोधन) (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	Amendment of article 85 by Sri Prakash Vir Shastri	506-513

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohammad Imam	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Srimati Sharda Mukerjee	
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Vishwanath Menon	
श्री जे० एच० पटेल	Shri J .H. Patel	
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	
डा० रामसुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	
संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 156 का प्रतिस्थापन और नये अनुच्छेद 159-क का रखा जाना) श्री प्र० के० देव का)	Constitution (Amendment) Bill Substitution of Article 156 and insertion of new article 159-A by Shri P.K. Deo	514-515
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	
केरल को आवंटित चावल के मूल्य के बारे में—आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion Re. Prices of Rice allotted to Kerala	516-519
श्री प० गोपालन	Shri Pattiam Gopalan	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annashahib Shinde	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 1 मार्च, 1968/ 11 फाल्गुन, 1889 (शक)

Friday, March 1, 1968/ Phalguna 11, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Round Table Conference on Kashmir Problem

*361. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister proposes to convene a round table conference of Kashmir leaders with a view to solve the Kashmir problem ; and

(b) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) There is no such proposal.

(b) Does not arise.

काश्मीर समस्या

*363. **श्री क० लक्कप्पा :** **श्री रा० कृ० सिन्हा :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बाद सरकार काश्मीर समस्या के बारे में कोई नया दृष्टिकोण अपनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने कोई नया दृष्टिकोण अपनाने का विचार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Y. S. Kushwah: Has Kushmir problem been finally solved in the Government's view if so, what is the view point of the Government in this regard? What steps are being contmplated by Government to amend the Constitution, to remove the anomally of status vis-a-vis that of other States ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हमने इस बारे में नहीं सोचा है क्योंकि हम ऐसा करना आवश्यक नहीं समझते।

Shri Y. S. Kushwah : Do Government consider the so-called Independent Kashmir an integral part of Kashmir, if so, how the Kashmir problem is deemed to be finally solved? What steps are being taken to acquire that part of Kashmir ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह समस्या का एक भिन्न पहलू है। अलबत्ता हमें युद्ध विराम का पालन करना होगा। स्वभावतः आजाद काश्मीर काश्मीर का अंग है और काश्मीर भारत का। हम हमेशा ही यह कहते रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या सरकार ने सिन्द्धात के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने पर विचार किया है ताकि काश्मीर की पृथक स्थिति का अन्त हो जाये जैसा कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विधेयक में अपेक्षित है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: उस विधेयक पर चर्चा के समय सरकार अपनी नीति स्पष्ट करेगी।

श्री हेम बरुआ : सरकार कहती है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यदि ऐसा है तो (क) प्रत्येक स्थान पर हम काश्मीर पर चर्चा क्यों करते हैं और (ख) शेख अब्दुल्ला ने मेरठ में एक सभा में यह कैसे कहा कि जम्मू तथा काश्मीर के 40 लाख लोगों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय अभी किया जाना है ? क्या सरकार काश्मीर के मसले पर फिर से चर्चा करना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस प्रश्न पर पुनः चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं है। शेख अब्दुल्ला जब जेल से बाहर आये तो उनके लिये लोगों से बातचीत करना स्वाभाविक था। वह न केवल सरकारी नेताओं से ही अपितु प्रतिपक्ष के नेताओं से भी मिले। लोकतंत्र में बातचीत पर मनाही नहीं लगाई जा सकती। हम चाहते थे कि वे स्थिति को समझें और भारत की एकता और समृद्धि के लिये हमारे साथ मिल कर काम करें।

Shri K. N. Tiwary: What is the reaction of the Government to Sheikh Abdulla's recent uttering that he is not an Indian national ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। शेख अब्दुल्ला ने इस देश के एक अस्थायी नागरिक होने के बारे में कुछ बातें कही थीं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। चूंकि काश्मीर भारत का अंग है, इसलिये वह भारत के पूरे नागरिक हैं और भारतीय नागरिक के रूप में उनके कुछ कर्तव्य हैं। जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है मूल रूप से कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई है केवल इतना ही है कि शेख अब्दुल्ला लोगों से बातचीत करके स्थिति को समझ रहे हैं।

Shri Madhu Limaye: Do Government propose to hold fresh elections in Kashmir as some people say that the last elections were not validly held and thus normalise the siutation there?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिस बात पर माननीय सदस्य का प्रश्न आधारित है, हम उससे सहमत नहीं हैं अर्थात् यह कि चुनाव स्वतंत्र वातावरण में नहीं हुए थे। जब हम मूल बात से सहमत नहीं तो अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Prem Chand Verma: Has it been brought to the notice of the hon. Minister that Shri G.M. Kara, Chief of the Political Conference and brother-in-Law of Chief Minister Sadiq, called upon the need to convene a round table conference of the well-wishers of Jammu and Kashmir and the representatives of the so-called Azad Kashmir to find a solution to the Kashmir problem, if so what is the reaction of Shri Sadiq to it?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हो सकता है श्री कारा श्री सादिक के साले हों, परन्तु मैं नहीं समझता कि राजनीतिक विषयों पर साला-बहनोई के विचार श्री सादिक के विचारों से अधिक महत्व-पूर्ण हैं। जहाँ तक गोलमेज कान्फ्रेंस के प्रश्न का सम्बन्ध मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री जवाहरलाल नेहरू ने मरते समय इस मसले को हल करने के लिए जो पहल की थी, क्या सरकार उस दिशा में कार्य करेगी चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आयें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जवाहरलाल जी के पहल कार्य और अन्य बातों के सम्बन्ध में बहुत अस्पष्ट बातें की जाती हैं। मेरी समझ से तो शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान तथा भारत की वास्तविकताओं का राजनीतिक मूल्यांकन करने की अनुमति देना भी एक पहल थी। स्थान आदि के परिवर्तन के बारे में कोई ठोस सुझाव नहीं था। पंडित नेहरू की पहल आदि के बारे में कुछ बढ़ा-चढ़ा कर बातें की जाती हैं।

Shri Bibhuti Mishra: Are Government aware that when Shri Kosygin had come here, some Communits here spoke to him that Shri Ayub had stated that India, Pakistan and Shri Kosygin should sit together to find solution to the Kashmir problem and take a decision in the matter? What opinton was expressed by the Prime Minister? We are apprehensive that the Prime Minister has given some sort of assurance although they are not on the surface. Are they going to repeat in the case of Kashmir also what happened in the case of partition of the country and Kutch affair when the leaders of the country took vital decisions by by-passing the Parliament?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वह बिल्कुल निराधार है कि प्रधान मंत्री ने इसके बारे में श्री कोसीगिन या अन्य किसी व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आश्वासन दिया है। जहाँ तक साम्यवादी सदस्यों के श्री कोर्सागिन से मिलने का सम्बन्ध है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो मैं नहीं जानता कि वह मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

Shri Bibhuti Mishra: The thing is that he is Home Minister and has got all facilities of intelligence and we are ordinary laymen. What can we tell in this respect? He should tell. Shri Hiren Mukerjee is present here, he may be asked whether Shri Kosigin stated this thing or not.

Shri Shiv Kumar Shastri : Whether Government are taking any step to cancel the citizenship of all those whose names are there in the electoral list ofKashmir State and who have migrated to Pakistan, as is the case of Tarik son of Sheikh Abdullah?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इसके लिए माननीय सदस्य को मुझे सूचना देनी होगी ।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : जब भारत के नेताओं ने यह चाहा कि शेख अब्दुल्ला को मुक्त कर देना चाहिए, उस समय सामान्यत: यह आशा की जाती थी कि इसके छोड़े जाने पर जहाँ तक काश्मीर समस्या का सम्बन्ध है पाकिस्तान भारत के विचारों से सहमत हो जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि शेख अब्दुल्ला के छोड़े जाने, उनके द्वारा किये गये भ्रमण तथा इस प्रचार के किये जाने से कि काश्मीर भारत से भिन्न एक अलग सत्ता है भारत का कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं सोचता हूँ कि शेख अब्दुल्ला को छोड़े जाने का प्रश्न गलत समझा जा रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत से संसद् सदस्य शेख अब्दुल्ला को मुक्त करने में रुचि रखते थे, और हम निश्चय रूप से संसद् सदस्यों के मत को महत्व देते हैं। लेकिन तथ्य यह था कि शेख अब्दुल्ला को अब अधिक नजरबन्द नहीं रखा जा सकता था। भारत रक्षा नियमों तथा आपतकाल की समाप्ति के पश्चात् शेख अब्दुल्ला को नजरबन्द रखे रखने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी ।

श्री बलराज मधोक : मैं गृह-कार्य मंत्री महोदय के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूँ कि काश्मीर के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। काश्मीर भारत का नाजुक भाग है और पाकिस्तान की इस पर कुदृष्टि है। अलीगढ़ और अन्य स्थानों में शेख अब्दुल्ला द्वारा जो कुछ कहा गया उस पर ध्यान देने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि उसके दिमाग में क्या बात है। हो सकता है कि इस बात का उन लोगों को पता नहीं होगा जिन्होंने इसके छुड़ाने का प्रयत्न किया। उन्होंने समझा होगा कि उसमें परिवर्तन आ गया होगा लेकिन अब यह स्पष्ट है कि शेख के दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के हृदय में तथा अब श्रीमती इंदिरा गाँधी के हृदय में कुछ निजी कारणों से शेख अब्दुल्ला के प्रति कोमलता है और क्योंकि जहाँ राष्ट्र हित का सम्बन्ध हो वहाँ वैयक्तिक कारणों को नहीं आना चाहिए' क्या काँग्रेस के नेता लोग तथा गृह-कार्य मंत्री प्रधान मंत्री को शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत न करने का परामर्श देंगे तथा इस मामले को किसी अन्य को न सौंपकर गृहकार्य मंत्रालय को सौंप देंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह बिल्कुल गलत सुझाव है, इसके विषय में प्रधान मंत्री को मेरे परामर्श देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रधान मंत्री महोदया जानती हैं कि देश के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। शेख अब्दुल्ला और काश्मीर के सम्बन्ध में हमारी जो नीति है उसके बारे में इतना कहने के बाद मैं यह कहूँगा कि हमें उसके प्रति उदार होना चाहिए क्योंकि काश्मीर राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने निश्चय रूप से भारत में काश्मीर के अधिमिलन के सम्बन्ध में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। इसलिये इस विशेष मामले में अपने मत की अभिव्यक्ति में हमें निष्ठुर नहीं होना चाहिए। हमें मामलों को सामान्य रूप से होनेदेना चाहिए,

मैं माननीय सदस्यों से विशेषकर श्री बज़राज मधोक से निवेदन करता हूँ कि इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करें।

श्री शंकरराव माने : हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता उनको दी जाती है जो अपने को भारतीय नागरिक समझते हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला अपने को भारत का अस्थायी नागरिक समझते हैं, क्या यही सरकार की नीति है कि उनको भी वही विशेषाधिकार दिए जाएँ जो कि अपने को भारत का अस्थायी और सामयिक नागरिक समझते हैं ? इस स्थिति में, तो मुझे भय है कि इस देश में नागरिकों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो जायेगा जो अपने आपको इस देश का अस्थायी अथवा सामयिक नागरिक कहने लगेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अगर अस्थायी नागरिकों की संख्या इतनी बढ़ने लगेगी तो हमें उनके प्रति कार्यवाही के लिए विचार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है। सम्भवतः यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला ने भी इस भूल को महसूस किया होगा कि उनके मुंह से गलत शब्द निकल गये।

श्री रंगा : प्रधान मंत्री को भेजी गयी अपील में मैंने और हमारी ओर के कई सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे तथा उसमें शेख अब्दुल्ला को छोड़ने के लिए निवेदन किया गया था। शेख अब्दुल्ला को छोड़ने के लिए किये गये इस निवेदन का कोई अन्य कारण नहीं था केवल इसके कि उन्हें हमारी राष्ट्रीय राजनीति में रचनात्मक अथवा अन्य प्रकार से योगदान देने का अवसर दिया जाय।

श्री हेम बरुआ : इस "अन्य प्रकार से" का तात्पर्य क्या है ?

श्री रंगा : क्योंकि गृहकार्य मंत्री महोदय ने उसके कुछ भाषणों को आपत्तिजनक ठहराया है। मैं उनके साथ सहमति नहीं प्रकट कर सकता दूसरों के विचार ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मैं गृहकार्य मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे अपने में और प्रधान मंत्री में इतना भेद उत्पन्न न करें और तब.....

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह भेद उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर मधोक ने वह प्रश्न पूछा था।

श्री रंगा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिकता ग्रहण करे या नहीं, भले ही इसे स्वीकार करे अथवा नहीं उसे अधिकार है कि नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर वह काश्मीर के मामले में सरकार की नीति का अनुमोदन अथवा आलोचना कर सकता है; उन्हें यह विभेद न करने दीजिये और शेख अब्दुल्ला से बातचीत करने पर इसे उनके और प्रधान मंत्री दोनों के लिए और अधिक कठिन तथा भयावह बनने दीजिए। परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार समर्थवान है, इसलिए एक या दो व्यक्तियों के कार्य-कलापों को लेकर इतना बतंगड़ नहीं खड़ा करना चाहिए चाहे वे आदमी कितने ही बड़े क्यों न हों।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनके विचारों का आदर करता हूँ। लेकिन मेरे अपने विचार हैं और मेरे विचार से शेख अब्दुल्ला को अपने विचार व्यक्त

करने की अनुमति देनी चाहिए। यद्यपि उनके कई वक्तव्य आपत्तिजनक हो सकते हैं फिर भी हमें उसे परिवर्तित परिस्थिति के साथ अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए कुछ समय देना चाहिए।

श्री रंगा : कितना भी समय हो सकता है कोई अपत्ति नहीं आने लगी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह निर्णय का विषय है। मान लीजिये अपत्ति आ ही जाती है, उस पर भी तो हमें विचार करना ही होगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हमें प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री महोदय ने एक बार और स्पष्ट कर दिया है तथा साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा इसके बारे में परिवर्तन नहीं होगा। प्रधान मंत्री जो कुछ विचार कर रही हैं तथा गृह-कार्य मंत्री सभा को जो कुछ बता रहे हैं उसमें विपक्षी सदस्य मीन-मेख निकालना चाहते हैं। यह भारत सरकार का विचार किया हुआ मत है। इस सम्बन्ध में, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह काश्मीर का एक मात्र प्रतिनिधि है, शेख अब्दुल्ला की तो बात ही क्या। इस विषय में, मैं गृह-कार्य मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने काश्मीर के मुख्य मंत्री के हाथ मजबूत कर दिये हैं जिनका कि स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है और जो प्रशासन के प्रधान हैं जिससे कि शेख अब्दुल्ला उत्तरदायित्व रहित बातें कह कर तथा काश्मीर के सम्पूर्ण प्रश्न को फिर से उठाकर किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न कर दें। इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विषय में हमारी ओर से कदम उठाने का क्या प्रश्न हैं। काश्मीर के मुख्य मंत्री की स्थिति तो पहले ही काफी मजबूत है।

Shri George Fernandes : We agree to the statement made by the Home Minister that Kashmir is the integral part of India. But the Plebiscite Front in Kashmir do not agree with this basic principle. The Government have passed the Unlawful Actvities Bill and it has become Act also. I want to know whether the hon. Home Minister has thought to finish the Plebiscite Front and declare unlawful under the Unlawful Activities Act?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: परिकल्पना के आधार पर मैं कानून के अन्तर्गत कार्यवाही के विषय में कुछ नहीं कह सकता।

Shri George Fernandes : Have you thought or not ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने सैकड़ों और अन्य विषयों के बारे में भी सोचा है। हम जानते हैं कि इस विषय में प्लेबेसाइट फ्रंट के अपने कुछ विशेष विचार हैं लेकिन हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने पार्थक्य को अपना सिद्धान्त बना लिया है वे परिवर्तन कर सकते हैं और उन्होंने किया है, यह एक प्रक्रिया है जिस पर हमें सदा विश्वास करना होगा। हमारा राज्य लोकतंत्रात्मक है और वह कानून भी लोकतंत्रात्मक राज्य के लिये ही है। हम उनके विषय में तब तक कोई निर्णय नहीं दे सकते जब तक कि हम उनमें कोई नये परिवर्तन, कोई ऐसी कार्यवाही अथवा व्यवस्थित प्रयत्न न देख लें। मैं

उनके लिए अधिक बुद्धिमत्ता की कामना करता हूँ न केवल उसके लिए बल्कि वहाँ के लोगों के लिए भी ।

Shri Tulsi Das Jadhav : Sheikh Abdullah is a Citizen of Kashmir.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत में केवल एक ही नागरिकता है और वह है भारतीय नागरिकता ।

Shri Tulsi Das Jadhav :He is a citizen of India and living in Kashmir. All the people living in Kashmir accept themselves as citizens of India. It means that Shiekh Abdullah is legally, literally and in spirit a citizen of India.

Even if he says that he is a provisional citizen and not an Indian citizen, but he is a full citizen of India as our Government feels, is it not ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब कोई किसी देश का नागरिक है तो उसके लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं कि वह अपने आप को उस देश के नागरिक होने से इन्कार करे। जैसा कि नागरिकता के कुछ लाभ हैं वैसे ही उसके कुछ दायित्व भी हैं, इसलिये उसके विषय में कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri: From the very beginning, America has been viewing Kashmir issue through British eyes and her policies have always been against India. For some time she too appear to be wavering on Kashmir issue. In such a background, there are differnt opinions about Sheikh Abdulla's release. I want a clear answer from the Home Minister on one question. An opinion is fast making its way in the minds of the people in the country that excepting financial security and external Affairs Department, Government is going to give freedom to the rest of the Kashmir Valley. I want to know whether the Home Minister, nowhere though the Parliament, will give an assureance in clear words that the Government has no such policy and it considers Kashmir a part of India just like other States as Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh or Andhra Pradesh.

श्री यशवन्तराव चव्हाण :

माननीय सदस्य पहले तो कुछ चीजों की कल्पना कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यह शीघ्रता से फैल रहा है। मैं कह चुका हूँ कि सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं हैं और न ही सरकार के सम्मुख कोई नया प्रस्ताव ही है। इस विषय में इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ? माननीय सदस्य इससे अधिक और क्या आश्वासन चाहते हैं? मेरी केवल यही प्रार्थना है कि वह इसे स्वीकार करें तथा इसमें हमें सहयोग दें।

Shri Hukam Chand Kachwai :

He slips away on such occasions.

श्री शंकरानन्द :

शेख अब्दुल्ला को सरकार ने अब मुक्त कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वे क्या आधार थे जिनपर केन्द्रीय सरकार ने उन्हें बन्दी बनाया था तथा अब क्या आधार थे जिनपर उन्हें मुक्त किया गया? क्या यही बात है कि जैसी वस्तुस्थिति उनके बन्दी बनाये जाने के समय थी अब वह ऐसी नहीं रही है? क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को यह पता लगा है कि शेख अब्दुल्ला के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है?

अध्यक्ष महोदय :

वह इसका कितनी बार उत्तर दे चुके हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि वह दोहराने को तैयार हों।

श्री यशवन्तराव चव्हाण :

क्यों उन्हें बन्दी बनाया गया था यह तो मैं सदन में बार-बार कह चुका हूँ और क्यों मुक्त किया गया यह अभी-अभी स्पष्ट कर चुका हूँ।

आयोजन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*362. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयोजन के संबंध में प्रशासनिक आयोग के अध्ययन दल का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) योजना-कार्य-तंत्र से संबंधित अध्ययन दल ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार आयोग को पेश कर दिया है।

(ख) और (ग) : अध्ययन दल की सिफारिशें उसके प्रतिवेदन में वर्णित हैं, जिसकी प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है। अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार प्रशासनिक सुधार आयोग ने करना है। आयोग ने अभी, इस विषय पर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करनी हैं। इस अवस्था में सरकार द्वारा अभी कोई कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Raghuvir Singh Shastri : By what time do you hope that the report of the Study Team will be considered by the Administrative Reforms Commission ; when the Government will get its report and upto what time will the Government take a decision thereon ?

Shri V.C. Shukla: The recommendations of the Study Team have, by now, been submitted to the Administative Reforms Commission for consideration. The Commission will consider them carefully and after that it will submit its report to the Government. As soon as it submits its recommedations to the Government, the Government will consider those recommendations. Until Government receives the Commission's recommendations there is no question of considering them.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it one of the recommendations of the Study Team that there may be a Parliamentary Committee just like Public Accounts Comittee, which may keep always an eye on the whole planning as also on formation and execution of plan and may funtion as P. A. C. does ?

Shri V. C. Shukla : I have said that their recommendations have been placed in the Parlaiment Library. They have made many recommendations as such. As soon as we receive those recommendations officially, through the Commission, we will consider them.

Shri D.N. Tiwary : Will the Government have discussions with the States before taking a final decision on recommendations of the Administative Reforms Commission ; and will it take the advice specifically of the three Parliamentary Financial Committees?

Shri V. C. Shukla : We will take a decision in this matter when the recommendations come before us. If the issue pertained to the State Government or the Parliamentary Committees, it will, no doubt, be considered about taking their advice.

Shri Rabi Ray : On the basis of what has been spent by the Government in the name of development schemes during last fifteen years, or the help given to the States; I want to know

whether the Government has the statistics before it about per man expenditure on development; if not, how the plan will then be shaped ?

Shri V. C. Shukla—The Administration Reforms Commission has studied the Plan. It must be having all the statistics. It has not raised any question that it does not have the statistics. This means that it must have all the things required for consideration, otherwise it would have asked us for the same.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : प्रशासन सुधार आयोग, विभागीय प्रतिवेदन तथा अध्ययन-दल के प्रतिवेदन ही उत्पन्न कर रहा है तथा प्रतिवेदनों की बाढ़ ला रहा है। यदि मुझे ठीक याद है तो प्रशासन सुधार आयोग का कुल काम असैनिक प्रशासन में बचत के बारे में सुझाव देना था, तथा कल ही वित्त मंत्री ने हमें बतलाया है कि वे इसपर कोई कार्यवाही करने की आशा रखते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रशासन सुधार आयोग कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगा और वह कब तक ठोस बातें सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा तथा कब इन पर अनुकरण किया जायेगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने आयोग से इस बारे में पूछा था। हम जानना चाहते थे कि अपना कार्य वे लोग कब तक पूरा कर लेंगे, परन्तु दुर्भाग्यवश, वे लोग इस समय कोई अन्तिम तिथि बताने की स्थिति में नहीं हैं, परन्तु मुझे आशा है कि कुछ समय पश्चात् वे लोग इस पर प्रकाश डाल सकेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि वे लोग वित्त, लेखा तथा लेखा-परीक्षण पर तो पहले ही अपना प्रतिवेदन दे चुके हैं तथा वे चीजें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री बी०चं०शर्मा : योजना आयोग को भारत सरकार की बग्घी का पाँचवा पहिया कहा गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। योजना आयोग और भारत सरकार के मंत्रालयों में दोहरा काम हो रहा है। शिक्षा, प्रशासन तथा अन्य बातों में उनकी अपनी ही नामिका बनी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि योजना आयोग के बारे में प्रशासन सुधार आयोगकी यह भी एक सिफारिश है कि योजना आयोग के खर्च में 80% की कमी की जाये, यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना आयोग के सचिवालय को छोटा करने को तैयार है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सदन को कदाचित याद हो कि इसी विषय पर माननीया प्रधान मंत्री ने विस्तृत वक्तव्य दिया था और प्रशासन सुधार आयोग द्वारा दी गई अधिकतम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा कुछ खर्च घटा दिया गया है। यह मैं नहीं जानता कि किस सीमा तक, परन्तु आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करके योजना आयोग की कार्य-प्रणाली को सुप्रवाही कर दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : कठिनाई यह है कि जिस बात का उत्तर योजना मंत्री को देना था उसका उत्तर गृह मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। निश्चित विषय पर प्रशासन सुधार आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन आने पर, इस मामले में, योजना मंत्री द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये थी। फिर भी मैं एक प्रश्न करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इसका उत्तर दे सकेंगे।

अपना अन्तिम प्रतिवेदन देते समय प्रशासन सुधार आयोग को दो आधारभूत उपलब्धियाँ हुई एक तो यह कि योजना आयोग का काम है कि वह आधारभूत मार्गदर्शन करे तथा वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करे तथा दूसरे यह कि अपने पिछले पन्द्रह वर्षों के कार्य में योजना आयोग निरन्तर

आधार पर गैर सरकारी क्षेत्र से सीधे विचार-विमर्श करने योग्य नहीं हो सका जिसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न योजना संक्रियाओं में काफी अन्तर पड़ गया। इन दोनों उपलब्धियों पर सरकार किस सीमा तक विचार कर सकती है, इससे पहले कि सह सारी सिफारिशों को अन्तिम रूप से कार्यान्वित करे?

श्री विद्या चरण शुक्ल: इस संदर्भ में माननीया प्रधान मंत्री ने सरकार की स्थिति काफी स्पष्ट कर दी थी और सरकार का दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं हुआ है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: योजना मंत्री यहाँ नहीं हैं। यही कठिनाई है। यह प्रश्न उनसे किया जाना चाहिये था।.... (**व्यवधान**)

श्री विद्या चरण शुक्ल: योजना आयोग पर प्राप्त अन्तरिम प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया था तथा विचार के बाद कुछ निर्णय लिये गए थे और वे निर्णय प्रधान मंत्री के यहाँ दिए गए वक्तव्य में सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, उन पर हमारा दृष्टिकोण बदला नहीं है।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, none of the questions has been replied to satisfactorily.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी: यह निश्चय करने के लिये कि योजना आयोग निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने के काम का मूल्यांकन करने की ओर अधिक ध्यान दे, सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन प्रश्नों का उत्तर योजना मंत्री द्वारा दिया जायेगा। मेरा सम्बन्ध तो सारे मामले में प्रशासनिक कार्य कराने का है और इस सम्बन्ध में हमने कार्यवाही कर ली है।

भाषा के प्रश्न से उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति

*364. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में भाषा के प्रश्न से उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारें उचित कार्यवाही कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार उनसे सम्पर्क बनाये हुए है।

Shri Manibhari J. Patel: I want to know as to how many distrubances occurred there in the country by now on account of this issue ? What is total loss of life and property ? I want to know this also as to what strict steps has the Government taken against those who disgraced the National flag at several places.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक जान व सम्पत्ति की हानि की बात है, सो बहुत हुई है, परन्तु उस संदर्भ में मेरे पास विस्तृत ब्यौरा नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट प्रश्न करें तो मैं उन्हें जानकारी दूंगा।

Shri Manibhai J. Patel: Mr. Speaker, I want to submit that during last few years, there have many disturbances over the language issue as a result of which there was loss of life and property in the States. After all Government must have made assessments as to how much has been the loss of life and property. Hon. Minister may please state that also as to what strong steps has the Government taken in regard to the disgrace of the National flag ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ कि मेरे पास इस समय विस्तृत जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे तनिक समय दें तथा कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं उनको जानकारी दूंगा। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है निश्चय ही ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है तथा उसे जला दिया गया है, विशेष रूप से दक्षिण और पूर्व में। पूर्व में क्या हुआ, इसके बारे में मैं सदन के समक्ष एक बहुत लम्बा व विस्तृत वक्तव्य दे चुका हूँ। दक्षिण के बारे में यह कि वहाँ कुछ विद्यार्थी भाषा-समस्या के नाम पर अनुचित मार्ग पर डाल दिए गए थे.....

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह सारे पूर्व और दक्षिण को ही क्यों घेरते हैं? वह राज्यों का नाम क्यों नहीं लेते ? सारे पूर्व अथवा सारे दक्षिण ही में तो यह नहीं हुआ है। वह राज्यों का नाम लें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे द्वारा पूरा उत्तर दिए जाने तक वे प्रतीक्षा क्यों न करें ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने केवल पूर्व और दक्षिण क्यों कहा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य धैर्य से सुनते।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय को अधीर न होने दें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं अधीर नहीं हूँ। मेरा विचार है कि श्री नाथ पाई अधीर होते जा रहे हैं। मैं कह रहा था कि दक्षिण का एक बहुत छोटा भाग इसमें शामिल था। माननीय सदस्य ने कदाचित केवल 'दक्षिण' सुना।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उन्होंने केवल 'दक्षिण' कहा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विशेष रूप से दक्षिण में, थोड़े से विद्यार्थी भाषा-विवाद के नाम पर अनुचित मार्ग पर डाल दिए गए थे।

श्री रंगा : क्या ? थोड़े से विद्यार्थी ?

एक माननीय सदस्य : वह राष्ट्रध्वज जलाने के बारे में कह रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यहाँ तक कि मद्रास सरकार ने भी इसकी निन्दा की है तथा वह इसके विरुद्ध कार्यवाही कर रही है।

श्री कण्डप्पन : यह बड़े दुःख की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले को हल करने के काम में ढील किए जाने के कारण राज्य सरकारों को कार्य करने में बहुत कठिनाई हो रही है। ये लोग राज्यों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना असम्भव कर रहे हैं। यह उनकी अपनी उपज नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार की है जिसके कारण ऐसे विरोध हो रहे हैं— विशेष रूप से मेरे राज्य तमिलनाड में। अभी हाल ही में हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि अगले वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व ही भाषा का प्रश्न संतोषजनक ढंग से हल हो जायेगा। क्या गृह मंत्री इस विचार की पुष्टि करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार पर दोष लगाने तथा स्वयं को उत्तरदायी न समझने के उनके इस अभ्यास में मैं उनका सहयोगी नहीं रहना चाहता। राज्य व केन्द्र सरकारों की यह जिम्मेवारी है कि वे कि न स्थितियों व समस्याओं के हल निकालें। भाषा के प्रश्न पर हम सदन में खूब चर्चा कर चुके हैं, आप इसकी कठिनाइयों को जानते हैं।

श्री रंगा : आपने इसे विवाद बनाने में योग दिया।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह आपका विचार है। यदि मैं आपका दृष्टिकोण स्वीकार कर लेता तो सम्भव है देश में और भी अधिक बुरा विवाद खड़ा हो जाता।

श्री रंगा : नहीं, नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समस्या पर दृष्टिपात करने का अपना ही कोई तरीका होता है। अतः मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार उत्तरदायी है। मैंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रश्न का एक भाग विचारार्थ शेष है। मुझे स्थिति स्पष्ट करने दें कि केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में हमने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके कारण असमानता की भावना उत्पन्न हो गई है। असमानता कुछ-कुछ है, यह स्वीकृत है। इस संदर्भ में हमारा उद्देश्य यह है कि हम राजनैतिक दलों के अथवा जनता के नेताओं के साथ मिल-बैठ कर इसका कोई सर्वमान्य हल पा लें।

श्री कण्डप्पन : श्री निजालिंगप्पा के वक्तव्य के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य का मैं उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

श्री कण्डप्पन : वह आपकी संस्था के अध्यक्ष हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब आप मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के वक्तव्य की व्याख्या करने को कहते हैं तो मैं भी आपकी ओर के किसी व्यक्ति के वक्तव्य की व्याख्या करने को आपके प्रति आग्रह कर सकता हूँ। हमें इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। हम परस्पर सहयोग करें तथा एक दूसरे को समझें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें बताइये कि कितनी जानें गईं। आपके पास आँकड़े हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं।

श्री क० नारायण राव : इस दृष्टि से कि यह मामला इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सदन ने विधेयक और प्रस्ताव पारित किया तो यह बात असंगत है कि केन्द्र सरकार उत्तरदायी है अथवा नहीं। परन्तु यह सत्य है कि यहाँ जो केन्द्रीय उपाय किये गये यह उनकी एक कड़ी है। मैं अनुभव करता हूँ कि दक्षिण की स्थिति से मंत्री महोदय भली प्रकार अवगत नहीं कराये गये

हैं। यह कहना उचित नहीं है कि इस प्रश्न पर दक्षिण में बहुत थोड़े व्यक्ति ही उत्तेजित हैं। मेरे ही राज्य में, विशाखापटनम में ही .....।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे रहे हैं। प्रश्न काल तो सूचना प्राप्त करने के लिए होता है।

श्री क० नारायण राव : पूरे मास तक स्कूल व कालेज बन्द रहे।

अध्यक्ष महोदय : गृहमंत्री को यह सब ज्ञात है।

श्री क० नारायण राव : अब जब कि अधिनियम और प्रस्ताव निश्चित हो चुके हैं, उत्तर और दक्षिण में--केवल दक्षिण में ही नहीं बल्कि उत्तर में भी.....

एक माननीय सदस्य : पूर्व में भी.....

श्री क० नारायण राव : क्या सरकार यथापूर्व स्थिति पर आने का विचार कर रही है ताकि अधिनियम तथा प्रस्ताव को कुछ दिन रोक कर हम विचार-विमर्श द्वारा ही कोई समझौता कर सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न पर चालीस करोड़ मत हैं। परन्तु जो मैंने कहा है उसे माननीय सदस्य ने गलत समझा है। जब मैंने "थोड़े से लोग" कहा तो यह राष्ट्रीय ध्वज जलाने के संदर्भ में किये गये प्रश्न के उत्तर में था। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि इसमें सारे विद्यार्थी वर्ग का हाथ था ? .....नहीं। अतः यह उत्तम है यदि वह कही गई बात को पहले समझें तथा फिर प्रश्न करें।

मैं जानता हूँ कि भाषा ही के प्रश्न पर बहुत से विद्यार्थियों को क्रियाशील किया गया है। मैं इसका न्युनानुभान नहीं करना चाहता। हम इस विशेष मामले में स्थिति को समझें।

Shri Kunwar Lal Gupta: The communal riots on language issue have been in South as well as in North. Law and order is the responsibility of all of us. It has been said that certain State Governments are encouraging these types of trouble and adequate actions have not been taken. It has also been said that the riots were not controlled as they should have been. Whether any information has been received in this regard? Whether Government have sent in any information regarding law and order situation to the States ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने इन दंगों को बढ़ावा दिया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। यह ठीक नहीं है। प्रत्येक का समस्या को हल करने का अपना-अपना तरीका होता है जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने अंग्रेजी को हटाने के लिए अपने ही तरीके का प्रयोग किया। माननीय सदस्य प्रशासन की कठिनाइयों से भली-भांति परिचित हैं। सम्भवतः अन्य राज्यों में भी कुछ और कठिनाइयाँ हों। हमें इसे समझना है। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखे और वहाँ दंगे न हों तथा नागरिक सुरक्षित हों और वह सामान्य जीवन व्यतीत करें। यदि वे ऐसा नहीं कर रही हैं तो निश्चय तौर पर वह गम्भीर खतरा मोल ले रही हैं। इस मामले में हमारा राज्य सरकारों से सम्पर्क बना हुआ है।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आपने उन्हें कोई विशेष आदेश जारी किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हमारा उनसे सम्पर्क बना हुआ है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: भाषा विवाद के सम्बन्ध में विद्यार्थी समुदाय को भड़काया और पथभ्रष्ट किया गया है। चूंकि विद्यार्थी वर्ग में सामान्यता जोश है तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों से विद्यार्थियों का सम्मेलन बुलाने का है ताकि विद्यार्थियों में यह विश्वास पैदा किया जा सके और उन्हें यह बता दिया जाय कि भविष्य में चाहे कैसा ही विवाद क्यों न हो वे राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: विद्यार्थियों का कोई सम्मेलन बुलाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री हेम बरुआ : आप जान बूझकर हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। आप केवल स्वतन्त्र, जनसंघ दल के सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका समर्थन किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को बोलने के लिए दूसरा या तीसरा अवसर प्रदान करूँ इससे पहले मैं यह चाहता हूँ कि उन सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाये जिन्हें अभी बोलने का अवसर नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में आप रिकार्ड देख सकते हैं। यदि किसी सदस्य ने दूसरा प्रश्न किया होता तो श्री हेम बरुआ की टिप्पणी को मैं ठीक मान सकता था। ऐसी टिप्पणियों से कोई सहायता नहीं होगी।

श्री पीलू मोदी : यह दुख की बात है कि हर समय भाषा समस्या पर चर्चा किये जाने से नहीं रोका जा सकता। मेरे माननीय मित्र श्री कण्डप्पन ने गृह-कार्य मंत्री से बहुत उचित प्रश्न किया था मैं भी उसका उत्तर जानना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रधान ने भाषा समस्या के सम्बन्ध में एक बहुत लाभदायक और उचित टिप्पणी की थी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार का वर्तमान गृह कार्य मंत्री द्वारा काँग्रेस प्रधान के विचारों को क्रियान्वित करने का विचार है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : काँग्रेस प्रधान के क्या विचार थे जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया ? क्या आप उनको दोहरायेंगे ?

श्री पीलू मोदी : मुझे पता नहीं था कि मेरे से भी प्रश्न किया जायेगा अन्यथा मैं तैयार होकर आता।

श्री कार्तिक ओराओं अनुभव से यह प्रतीत होता है कि भाषा के प्रश्न के कारण, राज्यों के पुनर्गठन के कारण या पश्चिम और पूर्व या उत्तर और दक्षिण में मतभेद के कारण देश में कानून और व्यवस्था को खतरा पैदा होने की सम्भावना हो गई है। इन विषयों के सम्बन्ध कानून और व्यवस्था बनाये रखना बहुत कठिन है। क्या सरकार का विचार सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति को रोकने के लिये और नागरिकों की सुरक्षा बनाये रखने के लिए कोई कानून बनाने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—इस मामले का सार्वजनिक सम्पत्ति से क्या सम्बन्ध है? इस

सम्बन्ध में सबसे अधिक क्षति रेलवे को हुई है। हमने राज्य सरकारों को इनकी उचित सुरक्षा के लिये कहा है।

श्री समर गुह: संविधान के अनुसार कारों की नम्बर प्लेटों के अंक अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में होने चाहिये। क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रियों ने अपनी कार प्लेटों के अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के स्थान पर हिन्दी अंकों में परिवर्तित कर लिया है। यदि हाँ, तो क्या इसके कारण दिल्ली में यातायात में कठिनाई हो गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ मामलों में ऐसा हुआ है।

श्री तिरुनमल राव : केवल प्रश्न के शब्दों पर जाने की बजाय क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वर्तमान संकल्प की नीति के कारण यह अशान्ति क्यों हुई है। क्या सरकार का इस प्रश्न पर शीघ्रता और ईमानदारी से विचार करने और देश में फैले भय को दूर करने के उद्देश्य से कोई नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—देश में सेना में भर्ती किये जाने वाले लोगों में यह भावना है कि इस संकल्प के परिणामस्वरूप भर्ती किये जाने वाले लोगों पर असमान बोझ पड़ेगा। इस पर विचार किया जाना है। इस सम्बन्ध में हमें अन्य लोगों से विचार-विमर्श किया जाना है और इसका हल निकालना है।

Shri Shinkre : Whether American or British Imperialist Agencies are behind anti-Hindi agitation and the serious law and order conditition prevailing in Tamilnad? If so, the steps taken to impose restrictions on them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—कुछ विद्यार्थियों के वर्ग तामिलनाड को पृथक और स्वतन्त्र करने के आन्दोलन चला रहे हैं। परन्तु देश में चल रहे भाषा विवाद को हमें नहीं भूलना चाहिए अतः हमें इस मामले का हमें बढ़ा-चढ़ा कर ब्यौरे नहीं लेना चाहिए। मेरे विचार से इस मामले में किसी विदेशी शक्ति का हाथ नहीं है।

श्री जी० एस रेड्डी :—क्या सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने से रोकने के लिये कोई विशेष कानून की व्यवस्था की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करना एक अपराध है। प्रश्न इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का है।

Shri Ramavatar Shastri: At the time of Hindi agitation in Bihar, the domonstrators set fire to the 'Searchlight' a prominent daily newspaper of Patna and also attacked the House of Sarvodya leader Shri Jai Prakash Narain. The demonstrators also attacked the office of Praja Socialist Party. I know that that demonstration was being leaded by the Congress leaders. Whether any information in this regard has been received by the Government? If so, whether the Government has tried to arrest those leaders or they have been integrogated ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री नाथ पाई :—प्रश्न कानून और व्यवस्था का नहीं है। मूलतः यह बहुत गम्भीर मामला है। श्री चव्हाण यह कह कर कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश की एकता और एकीकरण का मामला है।

राष्ट्रीय ध्वज को और संविधान को जलाना और बेकरी का उद्घाटन इसलिए न करना क्योंकि शब्द तीन भाषाओं में थे देशद्रोह अधिनियम के अन्तर्गत आता है। कल श्री चव्हाण ने यह कहा था कि हमें असमान रूप से प्रतिक्रियात्मक नहीं होना चाहिए--यह एक ऐसी भावना है जिसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूँ। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि 15 अगस्त को जिस राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर फहराया गया था उसको जलाया जायेगा और हम इत्मिनान से बैठे रहें? सरकार क्या कर रही है? यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण:--कानून और व्यवस्था का मामला गम्भीर है। इसका सम्बन्ध देश की एकता से है। अतः इस सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए और तेजी से असमान रूप से कार्य नहीं करना चाहिये। बेपरवाही से बैठने का प्रश्न नहीं है। मद्रास सरकार ने इस मामले की ओर ध्यान दिया है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु:--मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्रश्नकाल की अवधि बढ़ाई जाये ताकि पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर चर्चा की जा सके।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has just told that national flag was burnt and the people were incited. I want to know who were those persons who incited the people and whether any action has been taken against them? Whether Government is making such legislation by which it may be possible to recover the compensation from the States in which damage might have been done to Central properties ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण:--जहाँ तक सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रश्न है सामान्य नियम इस मामले में लागू होते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज को जलाये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार का अपना अधिनियम है। भूतपूर्व सरकार ने वह अधिनियम पास किया था। मद्रास सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। जब मैंने भाषा विवाद का उल्लेख किया था तो मैंने यह नहीं कहा था कि कुछ व्यक्ति विशेषों ने उन पर प्रभाव डाला था या उन्हें पथभ्रष्ट किया था। इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु:--मैं आपसे दस मिनट से प्रश्नावधि का समय बढ़ाने के लिये कह रहा हूँ ताकि पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित अगले प्रश्न पर चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय:--यदि मैं आज आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूं तो यह उचित परम्परा नहीं होगी और कल सब लोग इसी प्रकार का निवेदन करेंगे। हम मुश्किल से रोज चार या पाँच प्रश्न ले पाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिमी बंगाल में अन्तर्देशीय जलमार्ग

365. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री राममूर्ति :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जलमार्गों की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण किया है,

(ख) क्या कोई विकास योजनाएँ आरम्भ हो गई हैं, और

(ग) क्या अन्तर्देशीय जलमार्गों का उपयोग बारहों महीने ऐसे जलयानों के लिए जो स्थानीय सामग्री से बनाये जा सकें, करने की सरकार की कोई योजनायें हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) : क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण इकाई पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता ने योजना आयोग के परिवहन योजना के लिये संयुक्त तकनीकी दल के तत्वावधान में पूर्वी क्षेत्र का परिवहन सर्वेक्षण किया था जिसमें पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जल परिवहन का सर्वेक्षण भी शामिल था। इस सर्वेक्षण में यूनिट को क्षेत्रीय योजना पक्ष कलकत्ता, महानागरिक योजना संगठन सरकार पश्चिम बंगाल ने सहायता दी थी। राज्य सरकारों ने भी अपने जल-मार्गों के कुछ फैलावों में अन्तर्देशीय जल-मार्गों की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया था। राज्य सरकार द्वारा रूपनाराण नदी की नौगम्यता को सुधार करने की दृष्टि से क्षेत्रीय जाँच और माडल अध्ययन किये जा रहे हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई प्रारम्भिक रिपोर्ट पर आधारित हिजली टाइल नहर और मौजूदा उड़ीसा तट नहर का फिर से बनाने का भी एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा अन्तर्देशीय जलमार्ग समूचे वर्ष भर देशी जल–नौकाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं।

चलचित्रों के प्रदर्शन पर आन्दोलन

*366. **श्री चपलाकन्त भट्टाचार्य :** **श्री ओ० प्र० त्यागी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में हिन्दी चलचित्रों के विरुद्ध तथा बम्बई और पूना में तामिल, तेलगू, कन्नड़ तथा मलयालम भाषा के चलचित्रों के विरुद्ध हुए आन्दोलनों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) चलचित्रों के प्रदर्शन में इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही अथवा प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) क्या चलचित्र वितरकों तथा प्रदर्शनकर्त्ताओं को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है और क्या कोई सहायता माँगी गई है अथवा दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में बम्बई और पूना में मामले दर्ज किये गये हैं और उनकी जाँच की जा रही है । पूना में भी पुलिस ने छै व्यक्तियों को हिरासत में लिया है । दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्में दिखाने वाले सिनेमा घरों को, जब भी पुलिस रक्षा के लिये कहा गया यह उपलब्ध कराई गई है । वितरकों तथा प्रदर्शकों को हुई हानि का राज्य सरकार द्वारा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

मद्रास सरकार ने सूचना दी है कि हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन के विरुद्ध सितम्बर और अक्तूबर, 1967 में मद्रास राज्य में विद्यार्थियों द्वारा कुछ आन्दोलन किया गया था । मुख्यमंत्री तथा निर्माण कार्य मंत्री के अपील करने पर बाद में यह आन्दोलन छोड़ दिया गया था । फिल्म वितरकों और प्रदर्शकों को कोई हानि नहीं हुई और राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसे आन्दोलनों को दुरुत्साहित करने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न करेगी और उनकी शिकायतों की जाँच करेगी ।

Entry of Chinese Agents into Indo-Nepal Border

*367. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Minister in Bihar Government recently sent a letter to the Central Government regarding the entry of the Chinese agents on Indo-Nepal border ;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ; and

(c) the number of spies arrested so far from December 1967 on the Indo-Nepal border?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) Shri Rampati Singh, a former State Minister for Industries and Employment, Bihar, had written in August, 1967 drawing attention to the danger posed by the activities of the Chinese Communsits in the border areas and suggesting stepping up of developmental activities and greater vigliance.

(b) Government continue to maintain vigilance in the border areas. Appropriate action will be taken in regard to the other suggestions about developmental activities.

(c) Facts are being ascertained from the State Government.

राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें

368. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण-कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है और अब तक बनाई जा चुकी सड़कों के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का उपयोग किये जाने के कारण वे बहुत खराब हो गई हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो सामरिक महत्व की सड़कों की समुचित देखभाल करने तथा उनका शीघ्रतापूर्वक निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) : राजस्थान में सामरिक महत्व की सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिए आवश्यक धन और उपस्करों का प्रबन्ध कर लिया गया है, और यह अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है। भारत सरकार को बनी हुई सड़कों की टूट-फूट के बारे में कोई शिकायत या रिपोर्ट इस आधार पर नहीं मिली है कि उनके निर्माण में रद्दी सामग्री लगाई गई थी। राज्य सरकार ने भी रिपोर्ट की है कि बनी हुई सड़कों में अभी तक कोई क्षति नहीं हुई है। राज्य सरकार, जो इन सड़कों के रखरखाव के लिये जिम्मेवार है निश्चय ही उनका निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद उनके ठीक रख-रखाव के लिए जरूरी कार्यवाही करेगी।

भारत-रूस वैज्ञानिक सहयोग

*369. **श्री अंबचेजियान :** **श्री जी० मो० बिस्वास :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिये 31 जनवरी, 1968 को संयुक्त अनुसंधान योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया था,

(ख) यदि हाँ, तो और किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क), (ख) और (ग) : भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों की एक संयुक्त समिति ने वैज्ञानिक अनुसंधान के ऐसे विशिष्ट क्षेत्र खोज निकाले हैं, जहाँ दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। वे क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

(1) गणित, भौतिकी, खगोल-भौतिकी और न्यूक्लीय भौतिकी,
(2) भू-विज्ञान, भू-भौतिकी और भू-रसायन सहित भू-विज्ञान,
(3) समुद्र-विज्ञान अध्ययन,
(4) रसायन और जीव-विज्ञान विज्ञान,
(5) अर्थ-आयोजना सहित समाज विज्ञान।

खगोल विज्ञान अकादमी और भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाओं और संस्थानों के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि सहयोग को विस्तृत प्रायोजनाएँ दोनों देशों के विशेषज्ञों के संयुक्त पेनलों द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तान की प्रस्तावित यात्रा

*370. **श्री हेम बरुआ :** **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री ब्रह्मानन्द जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला का, जिनको 1968 में ईद के दिन पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया गया था, तथाकथित काश्मीर समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये पाकिस्तान जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी पाकिस्तान की यात्रा के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस उद्देश्य हेतु शेख अब्दुल्ला को आमंत्रित किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) सरकार के पास जानकारी नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान जाने का निश्चय किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार शेख अब्दुल्ला ने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ हुई अपनी बातचीत के आधार पर कहा था कि उच्चायुक्त चाहते हैं कि वे पाकिस्तान जायें। इससे अधिक सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

*371. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सभी राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में ऐसा नहीं किया गया; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और हरियाना में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग कर दी गई है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में भी ये अलग-अलग कर दी गई हैं।

(ख) जम्मू व काश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा नागालैण्ड में न्यायपालिका को अभी तक कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है । परन्तु जम्मू व काश्मीर और पश्चिमी बंगाल में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए विधान पास किया जा चुका है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से शीघ्र ही तथा पूर्णतः अलग करने के लिए प्रेरित करती रही है। परन्तु न्याय की व्यवस्था राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और इस मामले पर विचार करना प्रधानतः उन्हीं का काम है।

दिल्ली का राजनैतिक ढांचा

*372. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के राजनैतिक ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) क्या महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम के स्थान पर एक निर्वाचित सम्पूर्ण विधान सभा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (ग) :

सरकार दिल्ली नगर निगम के ढांचे में कुछ परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम के स्थान पर निर्वाचित विधान सभा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहाजों का निर्माण

373. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों द्वारा जहाजों के निर्माण हेतु भारतीय अध्यादेशों के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जहाजों के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की और कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) विदेशी शिपयार्डों में पन्द्रह पोतों का क्रय आदेश दिया गया है, जिसमें से पाँच पोत 1968-69 में, नौ पोत 1969-70 में और एक पोत 1970-71 में दिये जाने को है।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम् जो वर्ष में 2 से तीन पोत बनाता है उससे 1968-69 में 12500 डी० डब्ल्यू० टी० के 4 पोत बनाये जाने की आशा है। बंबई का माजगाँव डाक 15000 डी० डब्ल्यू० टी० के सागर गामी पोत बनाने के लिए अब उपस्करित है।

सरकार ने 66000 डी० डब्ल्यू० टी० के मालवाहक बनाने के लिये कोचीन में दूसरा शिपयार्ड स्थापित करने का निश्चय किया है। परियोजना का कार्य, मित्सुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज लि० से तकनीकी सहयोग के लिये पारस्परिक सहमति हो जाने पर शुरू किया जायेगा।

पोतनिर्माण में आत्मनिर्भरता कब होगी यह सूचित करना संभव नहीं है क्योंकि उद्योग का विकास विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पर और समुद्री मशीनरी तथा संघनक के देसी निर्माण में कितनी प्रगति हुई है इस पर निर्भर करता है।

जहाजों की मरम्मत करने वाली फर्मों को स्थलीय गोदिया पट्टे पर दी जाना

374. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पत्तन न्याय प्राधिकारियों से स्थलीय गोदियों को जहाजों की मरम्मत करने वाली बड़ी फर्मों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) जहाजों की मरम्मत करने वाली फर्मों को स्थलीय गोदियाँ पट्टे पर देने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क), (ख और (ग) फिलहाल किसी भी पोर्ट ट्रस्ट के पास अपनी सूखी गोदियों को बड़े पोत मरम्मत फर्मों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी पत्तनों पर यानों की मरम्मत और सूखी गोदी के लिये उपलब्ध सुविधा की परीक्षा करते समय नौवहन, पोत निर्माण और पत्तन पर 16 से 18 दिसम्बर 1967 तक हुए राष्ट्रीय सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि सूखी गोदियों में पत्तन अधिकारियों को विभिन्न मरम्मत सुविधायें, जैसे क्रेनेज, विद्युत अर्जा, दबी वायु, चलते-फिरते क्रेनों इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए और यदि वे इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो एक सूखी गोदी बड़ी पोत मरम्मत फर्म को पहली बार प्रायोगिक आधार पर पट्टे पर द देनी चाहिए जिससे वे जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कर सके और सूखी गोदियों को उनकी पूरी क्षमता तक चला सकें। यह सिफारिश विचाराधीन है।

चीन-समर्थक साप्ताहिक पत्रिका 'रैवोल्यूशनरी फ्लेम'

*3175. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिल भाषा में "पुरात्ची कानाल' अर्थात् "रैवोल्यूशनरी "फ्लेम" नामक चीन-समर्थक एक साप्ताहिक पत्रिका कोयम्बतूर से प्रकाशित की जा रही है, जिसके मुख्य पृष्ठ पर माओ त्से तुंग का चित्र होता है और जिसमें माओ के उपदेशों का खुल्लमखुल्ला प्रचार किया जाता है और जिसमें लोगों को हिंसात्मक साम्यवादी क्रांति के लिये उकसाया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के हिंसात्मक साम्यवादी प्रचार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) "पुरात्ची कानाल" नाम से एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका ने 1 जनवरी, 1968 से प्रकाशन आरम्भ किया है। प्रथम संस्करण में माओ-त्से-तुंग का चित्र मुख्य पृष्ठ पर था। किन्तु बाद के संस्करणों में मुख्य पृष्ठ पर अन्य चित्र या लिखित सामग्री थी।

(ख) मद्रास सरकार द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के लेखों की परीक्षा की जाती है।

पर्यटकों द्वारा अपराध

*376. **श्री नम्बियार :** **श्री नायनार :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1967 में समाप्त होने वाले पिछले छः महीनों में विदेशी पर्यटकों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन मामलों में अब तक कितने विदेशी पर्यटक गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) विदेशी पर्यटकों द्वारा अपराध न किये जायें इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

जम्बो जेट विमानों के लिये ऋण

*377. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने दो बोइंग 747 जम्बो जेट विमान खरीदने हेतु धन की व्यवस्था करने के लिये न्यूयार्क में 13 अमरीकी बैंकों के एक सार्थ-संघ के साथ 24 करोड़ रुपये के ऋण के लिये करार किया है ;

(ख) इन जम्बो जेट विमानों का मूल्य कितना है; और

(ग) इस करार के अन्तर्गत एयर इंडिया को ये जेट विमान कब मिल जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया ने 13 यू० एस० वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 24.16 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में बातचीत की है, परन्तु करार (कन्ट्रेक्ट) को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

(ख) दो जम्बो जेट विमानों के लिए 48.20 करोड़ रुपया ।

(ग) यदि बातचीत सफल हो जाती है तो विमानों के 1971 की पहली तिमाही में मिल जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

*378. **श्री दीवीकन** : **श्री अबचेजिचान** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिकता, प्रान्तवाद तथा भाषावाद की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Role of Foreign Money in India

*379. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have completed the enquiry in regard to the use of foreign money in the public life of India, apart from General Elections ;

(b) if so, the main conclusions arrived at ;

(c) whether Government propose to bring forth a legislation making it binding on an institution to obtain prior permission of Government before receiving foreign asistance and to publicise the same in Parliament and Press compulsorily ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) and (b) : The report of the Intelligence Bureau, in respect of the use of foreign money both during the last General Elections and for other purposes, is still under examination.

(c) Further steps can only be considered after the examination of the report submitted by the Intelligence Bureau has been completed.

(d) Does not arise.

"एशियन ब्रदरहुड" नामक संस्था

*380. **डा० रानेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से सहायता प्राप्त करने वाले एक "एशियन ब्रदरहुड" नामक संगठन ने अपना मुख्यालय हाल में दक्षिण वियतनाम से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया है;

(ख) इस संगठन के उद्देश्य तथा कार्यवाहियाँ क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस संगठन को सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता मिलती रही है; और

(घ) कलकत्ता में इस संगठन के मुख्य कार्यकर्त्ता कौन-कौन हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख), (ग) और (घ) तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये बैट्रियां

*381. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा स्टैण्डर्ड बैट्रियाँ प्रयोग की जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितनी बैट्रियाँ खरीदी गई हैं ;

(ग) प्रतिभूति (वारंटी) अवधि में अब तक कुल कितनी बैट्रियाँ रद्द की गई हैं; और

(घ) क्या खराब बैट्रियों को निर्माताओं द्वारा बदल दिया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इससे इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ, डकोटा विमानों पर।

(ख) 1961-67 के दौरान 970।

(ग) और (घ) इन विमान-बैट्रियों के लिये इनके निर्माताओं द्वारा कोई प्रतिभूति (वारंटी) नहीं दी जाती है। निरीक्षण के बाद उनकी सप्लाई स्वीकार कर ली जाती है और निरीक्षण में रद्द की गयी बैट्रियाँ बदली जाने अथवा खराबियों को ठीक करने के लिए निर्माताओं को वापस कर दी जाती हैं।

गोहाटी में एक विमान द्वारा बांटे गये पर्चे

*382. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1968 को गोहाटी में दंगे होने से पहले एक न पहचाने गये विमान द्वारा आसाम में पर्चे गिराये गये थे जिनमें लिखा था कि "भारतीयों आसाम छोड़ जाओ, आसाम केवल आसामियों का है"; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि

*383. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहुत से अधिकारियों का, विशेष रूप से गैर-तकनीकी अधिकारियों का, सेवा काल 58 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद भी बढ़ा देती है;

(ख) इस बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में, श्रेणीवार, कुल कितने मामलों में सेवा काल बढ़ाया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी):(क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि करने, उन्हें पुनः रोजगार देने के सम्बन्ध में समय-समय पर हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार ये सुविधाएँ बहुत ही कम मामलों और कठिन परिस्थितियों में दी जानी चाहिए। वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत इन सुविधाओं को देने से पूर्व कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। सब से अधिक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह लोक हित में होना चाहिए। लोक हित के लिए निम्न शर्तों में से एक को पूरा करना होता है :

(क) कि अन्य अधिकारी काम संभालने के लिये परिपक्व नहीं हैं, या

(ख) कि सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी असाधारण रूप से योग्य है।

यह निर्णय किया गया है कि : (एक) साधारणतया सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवाकाल में वद्धि करने / पुनः रोजगार देने के किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

(दो) उपरोक्त सुविधाएँ बहुत ही आपवादिक परिस्थितियों में और किसी भी हालत में गैर-तकनीकी / गैर-वैज्ञानिक पदों के लिए 60 वर्ष की आयु और वैज्ञानिक / तकनीकी पदों के लिये 61 वर्ष की आयु से परे नहीं दी जानी चाहिए ।

(तीन) अवैतनिक नियुक्तियों के सम्बन्ध में सीमा 65 वर्ष हो सकती है बशर्ते कि नियुक्ति वास्तव में अवैतनिक है और कोई पर्याप्त परिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

(ग) 1-1-66 से 31-3-67 के बीच 556 मामलों में सेवाकाल बढ़ाया गया था। पिछले दो वर्षों में सेवाकाल बढ़ाये जाने की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह जानकारी सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त करनी होगी ।

राज्य प्रशासन के काम के लिये हिन्दी को अपनाना

*384. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने अपने प्रशासन के काम के लिये हिन्दी को अपनाने का निर्णय किया है और किन-किन राज्यों ने अंग्रेजी को जारी रखने का निर्णय किया हैं; और

(ख) किन-किन राज्यों ने अपने प्रशासन के काम में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरम्भ कर दिया है और वे केन्द्रीय सरकार के साथ किस भाषा में पत्र-व्यवहार करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) बिहार, हरियाणा, मध्य-प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने प्रशासनिक काम काज के लिए हिन्दी को अपनाने का निर्णय किया है। गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने निर्णय किया है कि वे केन्द्रीय सरकार तथा उन राज्यों से जिन्होंने हिन्दी को अपनी राज्य भाषा के रूप में अपनाया है हिन्दी में पत्र-व्यवहार करेंगे ।

नागालैंड ने अंग्रेजी को ही रहने दिया है। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने राज्यों में सरकारी काम-काज के लिए क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रयोग को चालू रखने का निश्चय किया है ।

(ख) नागालैंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने अपने राज्य-प्रशासनों में अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कुछ हद तक आरम्भ कर दिया है ।

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ भी पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ कर दिया है, छोड़कर अन्य सभी राज्य केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं ।

छिपे हुए नागाओं के शिविर में सशस्त्र विदेशी

*385. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष दिसम्बर में मनीपुर के माओं सब-डिवीजन में, जो युद्ध-विराम क्षेत्र में है, लाई में छिपे हुए नागाओं के शिविर में सशस्त्र विदेशी देखे गये हैं और तभी से विद्रोही नागाओं की गतिविधियों में वे अधिक भाग लेते हुए देखे गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो नागाओं के मामले में विदेशियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) प्रैस में प्रकाशित ऐसी रिपोर्ट के बारे में कोई पुष्टिकरण नहीं है। फिर भी सीमा के साथ-साथ सुरक्षा चौकियाँ स्थापित कर दी गई हैं और अपने इस इलाके के क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने के लिए गश्त तीव्र की जा रही है।

विदेशी धर्म प्रचारकों का कथित षड्यंत्र

*386. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा पता चला है कि विदेशी धर्म प्रचारक पूर्वीय क्षेत्र में नागालैंड से लेकर कन्याकुमारी तक की 30 प्रतिशत जनसंख्या को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने तथा पाकिस्तान की तरह एक ईसाइस्तान बनाने की माँग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं;

(ख) क्या इस बारे में जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तानियों की घुसपैठ

*387. **श्री रा० बरुआ :** **श्री रामावतार शर्मा :**
डा० सूर्य प्रकाश पुरी : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री शिवकुमार शास्त्री : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन सीमा-राज्यों में उसी तरह लगातार घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) क्या देश में इस समय ऐसे बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं जिनकी भारत में ठहरने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निरोधक कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। घुस-पैठ अब कम हो रही है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) इस बात का निश्चय करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं कि पाकिस्तानी राष्ट्रिक अपनी सीमा की अवधि में ही भारत से लौट जाएँ। जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से अधिक समय तक यहाँ रहने का प्रयत्न करते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है तथा उन्हें निष्कासित किया जाता है। पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ने तथा उन्हें निष्कासित करने के लिए तथा और घुसपैठ को रोकथाम करने के लिए उपयुक्त कार्यवाहियाँ भी की गई हैं। इन कार्यवाहियों

में प्रधानतः सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने तथा सीमा पर अधिक गश्त लागू करने के उपाय शामिल हैं।

मृत्यु दण्ड को समाप्त करना

*388. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने भारत में मृत्यु दण्ड समाप्त करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह अभी विधि आयोग के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल और सड़क परिवहन का समन्वय

389. **श्री न० कु० साधी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल और सड़क परिवहन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिये कोई व्यवस्था करने की योजना बनाई है, ताकि परिवहन के ये दोनों साधन एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर और एक दूसरे के पूरक के नाते काम कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : अन्तर्विभागीय परामर्शों के अलावा परिवहन विकास परिषद, पर्यटन और परिवहन पर मंत्रिमंडल समिति, और सचिव समिति के द्वारा समन्वय रखा जाना है फिर भी इस बारे में परिवहन नीति और समन्वय समिति ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जो विचाराधीन हैं।

Mahajan Commission Report on Border Disputes

*390. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 793 on the 16th February, 1968 and state when a final decision is liekly to be taken on the Mahajan Commission Report on the border disputes between Maharashtra, Mysore and Kerala ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

It is not possible to indicate precisely when a financial decision is likely to be arrived at, but efforts are being made to settle this question as early as possible.

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान

2309. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी का प्रचार करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों को अनुदान देने की योजना के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह सच है कि जब कुछ राज्यों को अनुदान देने से इन्कार कर दिया गया तो उन्होंने हिन्दी अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द कर देने अथवा अन्य तरीके अपनाने की धमकी दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख) हिन्दी के प्रसार और विकास से संबंधित अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को अनुदान वर्ष-वार के आधार पर दिया जाता है। हिन्दी के प्रसार और विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के कार्य संचालन का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया है।

(ग) और (घ) : हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए, अनुदान केवल अहिन्दी भाषी राज्यों को ही दिये जाते हैं। ऐसे अनुदान आयोजना अवधि के लिए दिये जाते हैं। आयोजना के अन्त तक हुए अनुरक्षण खर्च की जिम्मेदारी अगली आयोजना में संबंधित राज्य सरकार की होती है और बाद की आयोजना में विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए ही केन्द्रीय सहायता अनुमत्य है। हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के लिए अनुदान, आयोजना के बिना ध्यान में रखे, उनकी स्थापना की तारीख से लगातार पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमत्य है। पाँच वर्ष की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सहायता को लम्बी अवधि के लिए जारी रखने का आग्रह किया है अथवा पुराने कालेजों को बन्द करके नये कालेज स्थापित कर लिये हैं, ताकि केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती रहे। इस प्रकार के स्थापित नये कालेजों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उनके अनुरक्षण के खर्च को उस सीमा तक उठाने का अनुरोध किया गया है, जिस स्तर तक पुराने कालेजों के अनुरक्षण का खर्च पहुँच चुका है।

इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ् रशियन स्टडीज

2310. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट आफ रशियन स्टडीज में रूसी भाषा सिखाने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संस्था की परीक्षा का स्तर विश्वविद्यालय की परीक्षा के स्तर से कम है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संस्था की परीक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी हाँ। इस संस्था में केवल रूसी पढ़ाने की व्यवस्था है।

(ख) कुछ अन्य विश्वविद्यालयों के इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ इस संस्था के एक वर्षीय गम्भीर पाठ्यक्रम की परीक्षा की पाठ्यचर्या तथा योजना का तुलनात्मक अध्ययन यह प्रकट करता है कि इस संस्था का पाठ्यक्रम रूसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। यह संस्था तीन वर्षीय पाठ्यक्रम भी चलाती हैं। ऐसी सुविधाएँ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं दी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वामपंथी साम्यवादियों द्वारा कलकत्ते में भूमि की खरीद

2311. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान वामपन्थी साम्यवादी दल ने कलकत्ता के बीकबागान क्षेत्र में लगभग 5 लाख रुपये मूल्य का भूमि का एक बड़ा प्लाट खरीदा है, जैसा कि 3 जनवरी, 1968 के "जनसेवक" में प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यह धन उस पार्टी को कहाँ से प्राप्त हुआ था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Research in Museums

2313. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number and neames of museums in India where research is conducted by the Archaeological Department ;

(b) the amount of grants paid to each such museum by the Archaeological Department during the financial years 1960 to 1967 ; and

(c) whether Government propose to increase the amount of grants in the financial year 1968-69 in view of the importance of work ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) , (b) and (c) : The Museums under the control of the Archaeological Survey of India are essentially site-museums. As such, no permanent arrangements for conducting research on an organised basis exist thereat. On request from scholars, however, all possible facilities for the study of antiquities, preparation o photographs, etc. are afforded.

I. I. T. Students Going Abroad

2314. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of foreign countries to which the engineers of Indian Institute of Technology went during the last 5 years and the number of such engineers ;

(b) the number of those engineers out of them who have come back to India; and

(c) the number of engineers who are still in foreign countries ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):(a) According to a survey carried out by the Institute of Applied Manpower Research, of the 2292 graduates produced by the Institutes of Technology during 1961-65, 338 gradudates went abroad to USA, U.K. Canada, West Germany, USSR, Japan, Sweden, Norway and Holland.

(b) and (c) The necessary information is not readily available.

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

2315. **श्री नारायण रेड्डी** :क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त में आंध्रप्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजपथ थे तथा उनकी लम्बाई कितनी थी;

(ख) उस राज्य में प्रत्येक राष्ट्रीय राजपथ की एक गाड़ी चलने तथा दो गाड़ियाँ चलने के मार्ग की लम्बाई कितनी-कितनी है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की समुचित देखभाल के लिये प्रतिवर्ष कम से कम कितना अनुदान दिया जाता है अथवा अपेक्षित है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में पाँच राष्ट्रीय मुख्य मार्ग हैं जिनकी संपूर्ण लम्बाई 1407 मील है जो निम्न प्रकार है :

रा०मु०मा०संख्या	दोहरी गली	इकहरी गली	संपूर्ण
	(मील)	(मील)	(मील)
4	50	2	52
5	246	379	625
7	73	398	471
9	76	161	237
43	6	46	52
योग--	451	986	1437

(ग) राष्ट्रीय मुख्यमार्गों की दशा के अनुसार, जो मिट्टी, फर्श की मुटाई जलवायु, सड़क व्यवहार करने वाले यातायात और बाढ़ इत्यादि से होने वाली हानि पर निर्भर करती है, उसके ठीक रख-रखाव के लिये अपेक्षित अनुदान वर्ष प्रतिवर्ष बदला करता है ।

केन्द्रीय रक्षित निधि से आंध प्रदेश के लिये धन दिया जाना

2316. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रक्षित निधि (सामान्य) रिजर्व से 10.5 लाख रुपये दिये जाने और अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिये नियत धन में से 33.50 लाख रुपये दिये जाने की प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रार्थना पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) : अनुमानतः माननीय सदस्य मरेदुमिल्लीचिंतूर सड़क पर सावरी नदी के ऊपर के पुल का उल्लेख कर रहे हैं। इसकी स्थिति यह है कि दिसंबर, 1963 में भारत सरकार ने इस पुल के निर्माण के खर्चे के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) आरक्षित से आंध्र सरकार को अनुदान देना स्वीकार किया था जिसकी अधिकतम राशि 10.50 लाख रु० होगी और लागत के बाकी भाग की व्यवस्था 12 लाख रु० की हद तक राज्य सरकार ने अपने साधनों से करनी थी। इसके बाद अप्रैल, 1966 में भारत सरकार को सूचित किया गया कि इस पुल का अनुमानित मूल्य बढ़कर 44 लाख रुपया हो गया है और राज्य सरकार इस पर जोर देती रही कि भारत सरकार मूल्य की शेष राशि अर्थात् 33 5 लाख रु० राज्य की अंतर्राज्यिक और आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करे। किन्तु राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करना भारत सरकार के लिये संभव न हो सका क्योंकि चौथी योजना के अंतर्गत के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) आरक्षित से केन्द्रीय सहायता पूर्व स्वीकृति के अनुसार केवल 10.50 लाख रु० के अनुदान तक ही सीमित रहेगी।

हैदराबाद-नागपुर राष्ट्रीय राजपथ

2317. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बरसात के मौसम में हैदराबाद-नागपुर राष्ट्रीय राजपथ 36/7 मील पर चलने के यातायात के योग्य नहीं रहता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थान पर तपराबन नदी पर पुल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) जी हाँ, तूपरन गाँव के निकट जब कभी हल्दी नदी का नदी पथ अधिक ऊँचा हो जाता है और यातायात को बाधा पहुँचाता है।

(ख) इस स्थान पर उच्चतर पुल के निर्माण के लिये प्राक्कलन विचाराधीन है।

भारतीय सांख्यकीय सेवा

2318. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के बहुत से अधिकारियों ने पदक्रम सूची में नियत की गई पद-स्थिति के विरोध में अपीलें दायर की हैं:;

(ख) क्या इन अपीलों पर पिछले तीन वर्षों से अधिक समय में निर्णय नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हाँ, तो इनके क्या कारण हैं;

(घ) इन अपीलों के निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 1952 से 1963 तक की अवधि में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे कितने अधिकारियों का चयन किया गया जिन्हें बाद में भारतीय सांख्यिकीय सेवा में शामिल किया गया और उन्हें इस सेवा में किन-किन तारीखों को शामिल किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) कुल 173 अधिकारियों में से 31 अधिकारियों ने जिनकी नियुक्ति भारतीय सांख्यिकीय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के प्रारम्भिक गठन में हुई थी भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली के नियम 7 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई चयन-सूची में दी गई पद-स्थिति के विरोध में अभ्यावेदन भेजे थे।

(ख) तब से 25 अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और रद्द कर दिये गये हैं। 6 अभ्यावेदन अभी विचाराधीन हैं। ये तीन वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत हैं।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने जिसको अभ्यावेदन भेजे गये थे गृह मंत्रालय से कहा है कि इन अभ्यावेदनों की परीक्षा की जाय और केवल ऐसे अभ्यावेदन आयोग के विचारार्थ भेजे जायं जो आयोग से संबंधित हैं। अतः अभ्यावेदनों की गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षा की गई और आयोग को एक स्वतः पूर्ण संदर्भ भेज दिया गया। इसके पश्चात् आयोग ने पुराने रिकार्ड के संदर्भ में अभ्यावेदनों की परीक्षा की। उन्होंने कुछ और अधिक सूचना माँगी जो उन मंत्रालयों / विभागों से एकत्रित की गई जहाँ अधिकारी कार्य कर रहे थे। सूचना उन्हें भेजी जा रही है।

(घ) आयोग को मूल चयन समिति को जिसकी अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का एक सदस्य था सिफारिशों के विरोध में भेजे शेष अभ्यावेदनों पर निर्णय करना है। जैसे ही आयोग का फैसला प्राप्त हो जायगा अभ्यावेदन निपटा दिये जायेंगे।

(ङ) 173 अधिकारियों जो 1 नवम्बर, 1961 को सेवा के ड्यूटी पदों की अनुसूची में समाविष्ट पदों पर थे या उनमें प्रवेशाधिकार प्राप्त किये हुए थे चयन समिति द्वारा अनुवीक्षण के पश्चात् जिसका अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का सदस्य था 5 फरवरी, 1964 को सेवा के विभिन्न ग्रेडों के प्रारम्भिक गठन में नियुक्त किये गये।

1 नवम्बर, 1961 के बाद सेवा संवर्गों में शामिल किये गये पदों पर नियुक्त अधिकारियों को सेवा के उपयुक्त ग्रेडों में नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा है।

अन्दमान द्वीप में नारियल और सुपाड़ी के क्रय-मूल्य

2319. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के मुख्य आयुक्त द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय आदिम जाती संरक्षण) विनियम के अन्तर्गत जारी किये व्यापार लाइसेंस में उसके द्वारा इस विनियम के अन्तर्गत 1967 में समय-समय पर नारियल और सुपारी के न्यूनतम क्रय-मूल्य क्या नियत किये गये थे; और

(ख) 1966-67 में कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी ने वस्तुतः किस मूल्य पर नारियल और सुपारी खरीदी तथा इन भिन्न-भिन्न मूल्यों पर कितनी मात्रा में ये वस्तुएं खरीदी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) नारियल और सुपारी के न्यूनतम क्रय मूल्य इस प्रकार निश्चित किये गये थे।

नारियल रु० 37.50 पैसे प्रति 50 किलो

सुपारी रु० 110.00 पैसे प्रति 50 किलो

परन्तु लाइसेंस धारियों को उच्च मूल्य देने की छूट है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 278-68**]

नेपाली प्रव्रजकों की नागरिकता

2320. **श्री बी० ना० शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के उन नागरिकों को जो भारत में आ जाते हैं भारत के नागरिक मान लिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता कैसे मिल जाती है; और

(ग) नेपाल के ऐसे नागरिकों की संख्या कितनी है जो 1966-67 में भारत के नागरिक बन गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरन शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 (1) के अधीन देशीयकरण द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 (1) (ग) के अधीन भारतीय नागरिकों की नेपाली पत्नियां भी रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं।

(ग) एक।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ

2321. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजपथों और सीमा पार्श्ववर्ती सड़कों के निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान की निरंतर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को देखते हुये इस काम की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस काम के पूर्ण होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख): अनुमानतः माननीय सदस्य का तात्पर्य राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 11 और राजस्थान को सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण हैं-कार्य से है। राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 11 के निर्माण-कार्यों को प्रगति धन की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है और सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण-कार्य समय अनुसूची के अनुसार हो रहा है।

(ग) धन की उपलब्धता के आधार राजस्थान की सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण कार्य के अधिकांश भाग के मार्च 1969 तक पूरा होने की संभावना है। जहाँ तक राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 11 के निर्माण-कार्य का संबंध है उसके आगामी दो वित्तीय वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजपथ

2322. **श्री नंजा गौडर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और उसकी लंबाई कितनी-कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राजपथ पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया, और

(ग) यदि कोई विस्तार कार्यक्रम है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध 1)। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 279/68]**

(ख) राष्ट्रीय मुख्यमार्गों पर के व्यय के आंकड़े राज्यवार रखे जाते हैं राष्ट्रीय मुख्यमार्ग-वार नहीं। गत तीन वर्षों में किये गये व्यय का राज्यवार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध 2)। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 279/68]**

(ग) राष्ट्रीय मुख्यमार्गों का विस्तार कार्य तैयार नहीं किया गया है क्योंकि चौथी योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Hindi Sahitya Ratan Examination, Prayag

*2323. **Shri Meetha Lal Meena** :Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some universities have permitted the graduates who have passed the Sahitya Ratan Examination of the Hindi Sahitya Sammelan ,Prayag to appear in M.A. Examination directly ;

(b) if so, the names thereof ;

(c) whether in addition to the teachers a private candidate who has passed Sahitya Ratan Examination can also appear in M.A. examination in the said universities ; and

(d) if not, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Government has no information on this point.

(b), (c) and (d) Do not arise.

काकिनाडा पत्तन

2324. **श्री जी० एन० रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काकिनाडा पत्तन में उपयोगी ढंग से काम चलते रहने की संभावना नहीं है क्योंकि उपयुक्त तलकर्षक (ड्रेजर) न होने के कारण भीतरी पत्तन तथा लंगरगाह को मिलाने वाले जल-मार्ग में धीरे-धीरे मिट्टी जमा होती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय सामान से लदी हुई नावें बीच के जलमार्ग से बड़े ज्वार-भाटे के समय ही आ जा सकती हैं और इस प्रकार ये नावें प्रति दिन लगभग 1 घंटा ही इस जलमार्ग से होकर आ-जा सकती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय ने उसे सूचित किया था कि दूसरा पुल ड्रेजर जनवरी, 1968 तक आवंटित होने के लिये तैयार हो जायेगा ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि जब तक तलकर्षक तथा उसके रख-रखाव के लिये 10 लाख रुपये अविलम्ब रूप से उपलब्ध नहीं किये जाते, आन्ध्र प्रदेश सरकार को आगामी वर्ष इस पत्तन को बन्द करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क), (ख), (ग) और (घ) बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों का होता है। काकिनाडा पत्तन के विकास का दायित्व आंध्र प्रदेश की सरकार का है और उसने रिपोर्ट की है कि पिछले दस वर्षों से आन्तरिक पत्तन और लंगरगाह के बीच के जल मार्ग में रेत भरती रही है। एक सहायक जल मार्ग की खोज की गई जिससे माल से भरी नौकायें पोत और तट के बीच दिन में एक घंटे के लिये ऊँचे ज्वार के समय आ-जा सकती थीं। राज्य सरकार ने केन्द्र से नवंबर 1966 में काकीनाडा में निकर्षण कार्य करने के लिये लघु पत्तन निकर्षण और सर्वेक्षण संगठन के एक निकर्षक को लगा देने के लिये कहा था। उस समय यह विचार किया गया था कि पाइपलाइनों का प्रथम सेट, जिसके बगैर निकर्षक का उपयोग नहीं किया जा सकता था, 1967 के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा और निकर्षक इस वर्ष के अन्त तक काकीनाडा में भेजा जा सकेगा। ये पाइप अभी तक नहीं मिली हैं। काकीनाडा में निकर्षण समस्या पर भारत सरकार अत्यन्त जागरूक है और जितना शीघ्र संभव होगा एक निकर्षक उस पत्तन में निकर्षण कार्य के लिये भेज देगी जिससे वह निकर्षण न किये जाने से बन्द न हो जाये।

आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा में निकर्षण कार्य के लिये 1968-69 की वार्षिक योजना में नई स्कीमों के अन्तर्गत 10 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है। अपने स्वयं के साधनों से इस राशि की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है?

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण कार्य

2325. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ के मूल कामों के लिये कितना धन मंजूर कियथा गया था कितना धन व्यय किया गया तथा कम राशि खर्च होने के क्या कारण हैं;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया गया तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना अनुदान दिये जाने का अनुमान है;

(ग) प्रत्याशित अनुदान की राशि अकस्मात घटाई जाने के क्या कारण है, जिससे पहले दिये गये वचन को पूरा करना भी कठिन हो गया है; और

(घ) घटाई गई राशि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) तीन योजनाओं के दौरान मंजूर तथा व्यय की गयी राशियाँ नीचे दी जा रही हैं:—

	मंजूर की गयी	व्यय की गयी
	(रु० लाखों में)	
(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना	190.59	77.64
(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना	280 77	357.10
(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना	169.70	389.09

व्यय राशि वर्ष दर वर्ष के निर्माण कार्य के ताव (टैम्पो) और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के बकाया काम को पूरा करने के लिए किसी राज्य को धन आवंटन करने का विचार नहीं है या धन नहीं दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के मामले में वास्तव में बाकी-काम (बेक लौग) नहीं है क्योंकि तीसरी योजना के अंत तक हुआ कुल व्यय तीनों योजनाओं में की गयी कुल व्यवस्था से कहीं अधिक है।

(ग) और (घ) : वर्तमान वित्तीय कमी के कारण राज्य सरकारों के आवंटनों में कमी करनी पड़ी है और अभिप्राय यह था कि निर्माण-कार्यों की प्रगति का समंजन उपलब्ध धनराशि से किया जाय।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7

2326 **श्री जी० एस० रेड्डी:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7 पर राज्य की राजधानी और रायलसीमा जिले के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये कितने आर-पार नालों के कामों की मंजूरी दी गई और कितने काम पूरे हो चुके हैं;

(ख) बड़े पुलों, सड़क को चौड़ा करने और तारकोल डालने तथा रंगपुर और तुंगभद्रा पुलों को जाने वाली सड़कें बनाने के कामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कामों के लिये कितना धन देना शेष है;

(घ) क्या पुलों और तारकोल डालने आदि के कोई अन्य मंजूर शुदा काम अभी पूरे नहीं हुये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इनके लिये कितने धन की आवश्यकता है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) बड़े पुलों सहित 65 निकासी के निर्माण कार्यों, जो 125.28 लाख रु० की अनुमानित लागत पर मंजूर किये गये थे, में से 56.64 लाख रु० लागत के 32 निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं।

(ख) 100.05 लाख रु० की अनुमानित लागत पर मंजूर किये गये 19 बड़े पुलों में से 45.17 लाख रु० लागत के 6 बड़े पुल पूरे किये गये हैं। इस राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को चौड़ा और काली सतह करने के लिए 30.55 लाख रु० मंजूर किये गये हैं। रंगपुर और तुंगभद्रा पुलों के पहुँच

मार्ग भी क्रमशः 21.89 लाख रु० और 14.09 लाख रु० की अनुमानित लागत पर मंजूर किये गये हैं।

(ग), (घ) और (ङ): राज्य सरकारों से इस सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथा-समय उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

गोदावरी पर पुल

2327. **श्री जी० एस० रेड्डी:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोदावरी नदी पर दो पुल, एक अलामुडू में और दूसरा सिद्धान्तम पर कब बनाये गये थे और कब यातायात के लिये खोले गये थे तथा उन पर कितना धन खर्च हुआ था;

(ख) इन दोनों पुलों को आने वाली सड़कों को सुधारने पर कितना धन व्यय किया गया;

(ग) इस मार्ग पर कौन-कौन से काम अधूरे पड़े हैं तथा उसके लिये कितने धन की आवश्यकता है जो सरकार से माँगा गया है; और

(घ) कितना धन दिये जाने की संभावना है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) गोदावरी नदी की गौतमी और वशिष्ठा शाखाओं के ऊपर राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 5 पर के दो पुल, एक अलामुडू पर और दूसरा सिद्धांतम पर पूरे हो गये हैं और 20 4-67 को यातायात के लिए खोल दिए गये थे। इन पुलों की प्राक्कलित लागत क्रमशः 1.81 करोड़ रुपये और 94.19 लाख रुपये है।

(ख) सी० डी० निर्माण कार्य सहित पहुँच मार्ग के सुधार पर 196.72 लाख रुपये की मंजूर अनुमानित लागत के विपरीत मार्च 1966 तक 68.28 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी।

(ग) और (घ): इसी रास्ते अर्थात् आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 5, पर के उन मंजूर निर्माणकार्यों, जिन्हें पूरा नहीं किया गया है, की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 280/68]** चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार की 64 लाख रुपए की माँग के विपरीत 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

विशाखापत्तनम तक उप-मार्ग

2328. **श्री जी० एस० रेड्डी:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम नगर तक उपमार्ग के लिये भूमि, उप-मार्ग के निर्माण की लागत, तथा में हाद्रीगड्डा नदी पर पुल की लागत सहित, कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) इस सड़क के मील संख्या 4/8 पर रेलवे के उपरिपुल के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि मंजूरी प्राप्त न होने के कारण माँगे गए टेंडरों को रद्द करना पड़ा था, और जब 1967 में मंजूरी प्राप्त हुई, तो इस कार्य को शुरू करने के लिये कोई धन नहीं बचा था; और

(घ) क्या उत्तर में विशाखापत्तनम् अनन्तगिरि-अराडू सड़क को दक्षिण में राष्ट्रीय राजपथ से मिलाना आवश्यक नहीं है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 31.65 लाख रुपए।

(ख) राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 5 के 4/8 मील पर रेल का उपरिपुल पूर्ण होने के निकट है।

(ग) जी हाँ।

(घ) दक्षिण में रा० मु० मा० 5 और विशाखापत्तनम्-अनंतागिरि-अराकू रोड के बीच संयोजक कड़ी इस उपमार्ग का अंश है।

Air Services in Rajasthan

2329. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme in regard to the introduction of new air-services in Rajasthan has been approved ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the said air-services are likely to be operated ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :

(a) No, Sir. The Corporation has no plans to operate any new services in Rajasthan other than those already operating through Udaipur and Jaipur. Nor is there any proposal for a new regular scheduled air service from any other party. A non-Scheduled operator has, however been operating a service to certain new stations in Rajasthan for the last few days on the basis of day to day clearance of each such flight by the Controller of Aerodromes.

(b) and (c) : Do not arise.

Activities of left Communists in Border Areas

2330. **Shri Praksh Vir Shastri** : **Shri Yashpal Singh** :

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the left communists have intensified their activities in the border areas of the country ; and

(b) if so, the steps taken by Government in that regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) : Facts are being ascertained from the concerned State Governments.

पंचवर्षीय योजनाओं के लिये संसदीय समिति

2331. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिये एक संसदीय समिति बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आयोग के इस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) योजना के लिये संस्थान पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के स्थान पर नई योजना

2332. **श्री काशीनाथ पांडे :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के स्थान पर एक नई योजना लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसको कब तक कार्य-रूप दिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थान पर सरकार राष्ट्रीय खेल सेवा का एक कार्यक्रम तैयार कर रही है। योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम

2333. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है जिससे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से परीक्षा दे सकें;

(ख) यदि नहीं, तो यह काम कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के समय न तो हिन्दी और न ही अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य हो, अपितु सेवा में नियुक्त हुए व्यक्ति को परिवीक्षण अवधि के अन्दर हिन्दी अथवा अंग्रेजी का काम चलाने योग्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए; और

(घ) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को जिसकी मातृभाषा हिन्दी हो, परिवीक्षण अवधि के अन्दर हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा का काम चलाने योग्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में प्रयोग करने की अनुमति देने से सम्बन्धित सरकार का निर्णय संघ लोक सेवा आयोग को बता दिया गया है। आयोग ने सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवार की इच्छा पर, एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में, इन भाषाओं के प्रयोग के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य में कुछ प्रगति की है।

(ख) सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग दोनों ही इस निर्णय को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये उत्सुक हैं। अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार को विश्वास है कि इन भाषाओं को 1969 में होने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ विषयों के लिए एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने से इस कार्य का प्रारम्भ हो जायगा।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

Arrests of Goondas in Delhi

2334. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Brahmanandji :

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dehi Police has started the campaign to arrest the goonds in connection with the incidents of goondaism which had taken place on New Year eve i. e. on the night of 31st December, 1967 in Connaught Place, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Police has announced protection to those who help in arresting goondas ;

(c) whether campaigns to arrest such goondas were made on earlier occasions also ;

(d) whether such persons are released after their arrests ; and

(e) if so, the reasons for which persons arrested frequently in this connection are released ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) A drive was launched to round up goondas by all Police Stations of South District, New Delhi, from 1-1-1968.

(b) No formal announcement of this nature has been made but protection under the law will be available to such persons.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) The cases against goondas are sent to courts for action in the law. Sometimes, during trial, the courts release them on bail, under the relevant legal provisions. In the case of acquittal or discharge, they are released after trial.

दिल्ली में सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल

2336. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, जिनकी प्रबन्धक समितियों को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक द्वारा हाल में निलम्बित अथवा अधिलंघित किया गया है।

(ख) क्या दिल्ली शिक्षा संहिता के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक को प्रबन्धक समितियों का निलम्बन, अधिलंघन करने अथवा उनके गठन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने, तदर्थ समिति बनाने और उसे प्रबन्धक समिति के लिये काम करने की शक्तियाँ देने तथा तदर्थ समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के अधिकार प्राप्त हैं;

(ग) क्या इस प्रकार बनाई गई तदर्थ समिति को नई प्रबन्धक समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या स्कूलों को चलाने वाली पंजीकृत समितियों सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से(घ) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एक ब्रिटिश राष्ट्रजन के लापता हो जाने का समाचार

2337. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'ब्लिट्ज' गणतंत्र के दिवस 1968 के अंक में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एक कथित ब्रिटिश उर्वरक विशेषज्ञ लगभग एक महीने से यहाँ रहता था और जिसने सहयोग से भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के साथ बातचीत की थी तथा जो प्रधान मंत्री द्वारा संसद् सदस्यों के स्वागत में आयोजित समारोह में प्रधान मंत्री से भी मिला था, होटल के बिल तथा अन्य बिलों का भुगतान किए बिना ही देश से अचानक लापता हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस ब्रिटिश राष्ट्रजन का नाम क्या है और उसने कुल कितनी राशि के बिलों का भुगतान नहीं किया?

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्। इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

(ख) दिल्ली पुलिस को ये शिकायत मिली थी कि थामस गैस्ट नामक ब्रिटिश राष्ट्रिक एक स्थानीय होटल के रु० 11,491.93 के, तथा टैक्सियों की मालिक एक फर्म के रु० 12,093.73 के, अर्थात् कुल रु० 23,585.66 के बिल बिना चुकाये चला गया।

(ग) और (घ) : मामला विचाराधीन है।

कुकी लोगों का आक्रमण

2338. **श्री दीवीकन :** **श्री अम्बचेजि.यान :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 50 से अधिक कुकी और विद्रोही मिज़ो लोगों के एक जत्थे ने, जिनके पास स्वचालित हथियार थे 29 जनवरी, 1968 को उखरुल सब-डिवीजन की सीमा पर सदर पहाड़ियों में ग्राम स्वयंसेवक दल और सुरक्षा दल की दो चौकियों पर आक्रमण किया था;

(ख) यदि हाँ, तो सुरक्षा दल और ग्राम स्वयंसेवक दल के कितने-कितने व्यक्ति हताहत हुए थे;

(ग) उन विद्रोहियों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कोई मिज़ो और कुकी गिरफ्तार किए गए थे; और

(ङ) उनके पास जो हथियार थे क्या वे विदेशों में बने हुए थे अथवा भारत के बने हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्। 29 और 30 जनवरी को।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) और (घ) : पुलिस ने विद्रोहियों का पता लगाने के लिये उस क्षेत्र के गाँवों में कड़ी खोज की है और गश्त भी बढ़ा दी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(ङ) सुरक्षा दलों द्वारा उन गिरोहों से कोई हथियार बरामद नहीं हुए हैं अतः उन पर बने चिह्न के बारे में कोई सूचना नहीं है।

People of Rajasthan Border Areas

2339. **Shri Y.S. Kushwah** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the information published in the Gazette of Rajasthan Government that a large number of Indian minorities inhabiting along the international border areas in Jaisalmer and Barmer Districts of Rajasthan have migrated to Pakistan ;

(b) whether it is a fact that many of the said people were wanted by the Police in connection with crimes of indulging in anti-national activities ; and

(c) whether it is also a fact that the said persons were the inhabitants of those very places where Pakistan was succeessful in entering into Indian territory during the last hostilities ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) According to the information obtained from the State Government, some Indians belonging to the minority community have migraged to Pakistan from the Districts of Jaisalmer and Barmer after 1965.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

राजस्थान के राज्यक्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

2340. **श्री श्योचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी लोग राजस्थान के राज्यक्षेत्र में बार-बार घुसपैठ करते रहते हैं और इसके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण होता रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के साथ हुए पिछले संघर्ष में सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग 18,000 व्यक्ति पाकस्तान चले गए थे और उनमें से कुछ लोग अब जाली प्रमाण पत्रों के साथ वापस लौट रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ईद के अवसर पर लगभग 200 मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा राजस्थानी क्षेत्र में घुसपैठ के कुछेक मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

विदेशों में मंत्रियों की यात्रा

2341. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में विदेशों की यात्रा करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उपरोक्त मंत्रियों की यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Intrusions by Paksitani Boats in Jammu

2342. **Shri Nihal Singh** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pakistani boats were seen in Jammu and Chhamb areas carrying goods as reported in the Hindustan, dated the 2nd December, 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) : According to information received, there is no truth in the report.

राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठिये

2343. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठिये राजस्थान के जैसलमेर जिले में बस गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के बारे में पूरी जाँच की है और वह इस बात से सन्तुष्ट है कि युद्ध के समय वे सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध नहीं होंगे ; और

(ग) जैसलमेर जिले में बसे हुए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : जैसलमेर जिले में पाये गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या केवल 27 है। वे सब गिरफ्तार कर लिये गए थे और उन पर मुकदमा चलाया गया था। उनमें से 12 दोषी पाये गए और सजा काट रहे हैं। शेष 25 पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

दिल्ली पुलिस संबंधी खोसला आयोग

2344. **श्री एस्थोस :** **श्री प० राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की शिकायतों की जाँच करने के लिये नियुक्त किए गए खोसला आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी नहीं श्रीमन्। परन्तु हमें आयोग की एक अन्तरिम रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट को तथा इसकी सिफारिशों पर किए गए निर्णयों की एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कार्य-संचालन

2345. **श्री गणेश घोष :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री नायनार :**
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एसोसिएशन फार कल्टिवेशन आफ साइंस जादवपुर के निदेशक ने 1 फ़रवरी, 1968 को अहमदाबाद में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के 37वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य-संचालन की आलोचना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि इंडियन ऐसोसिएशन फार कल्टिवेशन आफ साइंस, जादवपुर, के भूतपूर्व निदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि (i) स्पष्ट उद्देश्यों के बगैर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत अपमिश्रित संस्थाएं स्थापित की गयी हैं । (ii) प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला/ संस्था को प्रमुख उपयुक्त उद्योगों के साथ अवश्य सम्बद्ध करना चाहिये। (iii) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की संस्थाओं और ऐसे अन्य निकायों को प्रयुक्त अनुसंधान के लिए अपने को सीमित कर देना चाहिये, और ऐसे सरकारी विभागों के समन्वय को भी रोक देना चाहिये, जो ऐसे अनुसंधान से सीधे लाभान्वित होंगे।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के लिए स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की यह नीति है (i) सम्बन्धित उद्योगों के साथ प्रयोगशालाओं के निकट सम्पर्क को बढ़ावा देना; (ii) प्रयुक्त अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं/ संस्थाओं के कार्य को पुनः स्थापन करना। प्रत्येक प्रयोगशाला संस्था के अनुसंधान कार्यक्रम को राष्ट्रीय आव-

श्यकताओं के प्रयत्न को ध्यान में रखते हुए उसकी कार्यकारी परिषद की देखरेख में रखा जाता है। सरकारी विभागों और उद्योगों के विशेषज्ञों तथा प्रतिनिधियों का प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की शासी निकाय के साथ भी घनिष्ट संबंध है।

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था

2346. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) पाकिस्तान के साथ हुए गत संघर्ष के बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कहाँ तक सुदृढ़ किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं। इन प्रबन्धों का नियतकालिक पुनर्विलोकन किया जाता है तथा सीमा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय या कुमुक भेजी जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा मद्यसारिक तथा गैर-मद्यसारिक पेयों की खरीद

2347. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के मद्यसारिक तथा गैर-मद्यसारिक पेय खरीदे और किन-किन से खरीदे तथा प्रत्येक को प्रतिवर्ष कितने मूल्य का ठेका दिया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में मद्यसारिक पेयों की बिक्री से प्रतिवर्ष कितना धन प्राप्त हुआ; और

(ग) गत तीन वर्षों में मद्यसारिक पेय चुराते हुए पकड़ गए दल के लोगों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और प्रत्येक को क्या-क्या दण्ड दिया गया?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 281/68]**

(ख) : एकत्रित की गयी राशियाँ निम्न प्रकार हैं:—

1964–65	64,907/–रु०
1965–66	43,205/–रु०
1966–67	31,409/–रु०

(ग) : ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

2348. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें चौदह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस उद्देश्य को पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग) : आठवीं श्रेणी तक के बच्चों की शिक्षा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही निःशुल्क कर दी गई है। अनिवार्य करने से पहले सभी संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर शतप्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सभी संघ राज्य क्षेत्रों में यथाशीघ्र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का विचार है।

उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

2349. **डा० रानेन सेन :** **श्री राणे :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उच्च न्यायालयों में इस समय कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) उनके शीघ्र निपटारे के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1967 को पड़े अनिर्णीत मामलों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) हाल ही में प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्य की स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया जिससे पता लगा कि न्यायाधीशों की कमी ही बचे हुए कामों के इकट्ठे हो जाने का मुख्य कारण है। दूसरे अंशदायी कारण रिक्तियों के भरने में विलम्ब, न्यायालय के स्थान में कमी तथा उच्च न्यायालयों में कार्य कर रहे न्यायाधीशों को बिना एवजी की व्यवस्था किए दूसरे कामों जैसे जाँच आयोगों आदि में लगाना है। राज्य प्राधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया है।

बिहार में "नक्सलबाड़ी" जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयत्न

2350. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नक्सलबाड़ी आन्दोलन के संचालक भगोड़े अब पश्चिम बंगाल, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हुए उत्तर बिहार में अन्य स्थान पर नक्सलबाड़ी जैसी स्थिति पैदा करने में व्यस्त हैं;

(ख) क्या गड़बड़ फैलाने में स्पष्ट रूप से चीनियों का हाथ दिखाई देता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) बिहार सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

(ख) पिकिंग रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलबाड़ी भाँति के आन्दोलनों का समर्थन कर रहा है।

(ग) उग्रवादियों की गतिविधियों के प्रति सरकार सतर्क है।

उप-कुलपतियों का सम्मेलन

2351. **श्री रवि राय :** **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1968 के प्रथम सप्ताह में वाराणसी में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के उप-कुलपतियों का सम्मेलन हुआ था, और

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए?

शिक्षा-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकों के निर्माण में रुचि रखने वाले उप-कुलपतियों का सम्मेलन वाराणसी में 1 और 2 फरवरी, 1968 को हुआ था। यह सम्मेलन किसी विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित न था।

(ख) विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के विचारार्थ सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ इस प्रकार हैं:—

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय को, विभिन्न विषयों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं को करने के एक कार्यक्रम का पुनरीक्षण करना और उसे अपनाना चाहिए ताकि इन विषयों पर पुस्तक निर्माण कार्य का संबंध कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके।

(ii) विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकों के निर्माण-कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और अधिकतर शिक्षा शास्त्री शामिल हों।

(iii) विश्वविद्यालय स्तर की अच्छी किस्म की पुस्तकों के निर्माण-कार्यक्रम के लिये राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये।

(iv) अच्छी किस्म की पुस्तकों के अध्यापक लेखकों को उपयुक्त प्रोत्साहन देना चाहिये और साथ ही अच्छी किस्म की पुस्तकों के लेखकों को शैक्षिक मान्यता भी दी जानी चाहिये।

(v) पुस्तकों के निर्माण कार्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण करने और समन्वय करने के लिये सम्मेलन की एक स्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष एक उप-कुलपति हैं।

कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी जांच आयोग

2352. **श्री रवि राय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रामवे जाँच आयोग नियुक्त किया है और क्या इस आयोग ने हाल में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : पच्छिम बंगाल की सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों में छात्र

2353. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री प० गोपालन : श्री गणेश घोष :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में इस समय कुल कितने भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है;

(ख) वे किन-किन देशों में अध्ययन कर रहे हैं और प्रत्येक देश में कितने छात्र हैं ;

(ग) कितने छात्र विदेशों में अपने खर्चे पर पढ़ रहे हैं; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :(क) और (ग) : इस समय विदेशों में छात्रवृत्तियों और अपने खर्च से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु 1965–66 के दौरान विदेश गये हुए विद्यार्थियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था और यह पता लगा कि लगभग 69 प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति पर अथवा प्रायोजित किये हुए विदेश गये और लगभग 31 प्रतिशत विद्यार्थी अपने-अपने खर्च पर विदेश गये।

(ख) 1-1-1967 का विदेशों में विद्यार्थियों की देश-वार संख्या अनुबन्ध में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 283/68]**

(घ) 1966 के दौरान 547 लाख रुपये की कुल विदेशी मुद्रा दी गई।

अंदमान के जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों से उतरने का शुल्क लिया जाना

2354. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री अनिरुद्धन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री अंडमान के जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों से उतरने का शुल्क लिये जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) निकोबार श्रेणी के पत्तनों में उतरने के लिये अन्दमान यानों में सवार यात्रियों से कोई उतारक शुल्क नहीं लिया जाता है। फिर भी यात्रियों से उनके और उनके असबाब को पोत से तट तक तथा तट से पोत तक परिवहन के लिये नौका किराया प्रभार लिया जाता है क्योंकि जेटी और गोदी सुविधा न होने के कारण पोत बीच धार में लंगर डालते हैं। यह उन अन्य नौवहन कंपनियों के व्यवहार

के अनुसार किया जाता है जो पत्तनों में तटीय सेवायें चलाती है जहाँ घाट की सुविधाओं की कमी के कारण पोतों को बीच धार में लंगर डालना पड़ता है।

भारतीय समाचार-पत्रों के लिये सी० आई० ए० से धन

2355. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4022 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसके बारे में जाँच इस बीच पूरी हो गई है कि भारतीय समाचार-पत्रों को सी० आई० ए० से धन प्राप्त होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (ग) :

रिपोर्ट की अभी परीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में भूमि सम्बन्धी नीति

2356. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमि सम्बन्धी नीति पर विचार करने के लिये दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों तथा दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के प्रतिनिधियों की बैठक उनके मंत्रालय ने बुलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर विचार किया गया था; और

(ग) बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (ग) : एक बैठक गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें दूसरों के अतिरिक्त निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री, उप-राज्यपाल, दिल्ली तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली ने भाग लिया था। यह बैठक भूमि अधिग्रहण नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिये बुलाई गई थी। यह स्वीकार किया गया था कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत तथा दिल्ली की शहरी आबादी की बढ़ती हुई जरूरतों के कारण भूमि अधिग्रहण कृषि-भूमि तथा गैर-कृषि भूमि दोनों का अनिवार्य है। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किये गये कि जिनकी भूमि अभिग्रहित की गई उन्हें मुआवजा दिया जाय और ऐसा मुआवजा शीघ्र दे दिया गया।

ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त की केरल के मुख्य मंत्री से मुलाकात

2357. **श्री रवि राय :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्राक में ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त केरल के मुख्य मंत्री से हाल में मिले थे और उन्हें बताया था कि केरल में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है; और

(ख) यदि हाँ तो, उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त ने केरल के मुख्य मंत्री को बताया था कि कानन देवन पहाड़ी उपज उद्यानों की श्रमिक स्थिति के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ब्रिटिश कर्मचारियों के जान और माल को खतरा हो गया है तथा उन्होंने सरकार से उनको संरक्षण उपलब्ध करने की माँग की है।

जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत संबंधी समिति

2359. **श्री घोरेश्वर कलिता :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क), (ख) और (ग) : संभवतः माननीय सदस्य नौवहन, पोत निर्माण और पत्तनों पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों का संकेत कर रहे हैं। पोत निर्माण, पोत मरम्मत और नौ सहायक उद्योग के विकास के लिये सम्मेलन की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत सहायक उद्योगों से संबद्ध सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें सूचित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 284/68]**

Stagnation Among Ministerial Employees of the Central Government

2360. **Shri Sharda Nand : Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks and Assistants in the Central Government offices who have reached the maximum of their pay scales and have not yet been promoted ; and

(b) whether Government propose to fix some intermediary pay scale so that the morale of the employees is maintained ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) According to available information, 277 Lower Division Clerks and 37 Upper Division

Clerks in the Central Secretariat Clerical Sevice and 288 Assistants in the Central Secretariat Service have reached the maximum of their pay scales and have not yet been promoted. The figures are not complete as information in respect of some Ministries/Departments is still awaited.

(b) The general question about promotion prospects of L. D. Cs., U. D. Cs. and Assistants in the Central Secretariat is being reviewed by Government.

पुलिस अधिकारियों को सी० आई० ए० द्वारा कथित भुगतान

2361. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री उमानाथ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से कुछ विधायकों ने शिकायत की है कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सी० आई० ए० से प्रति मास 1600 रुपये से 3000 रुपये तक की धनराशि प्राप्त होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत मुख्य मंत्री को नहीं मिली थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में सतर्कता आयुक्तों की बैठक

2362. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता आयुक्तों की बैठक जनवरी, 1968 में हैदराबाद में हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस बैठक में क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) उन्हें कार्य रूप देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सतर्कता आयुक्तों को अपने अनुभवों के सम्बन्ध में विचारों के आदान-प्रदान का तथा समान समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर देना था। ये विचार-विमर्श नितान्त अनौपचारिक प्रकार के थे, तथा कोई औपचरिक सिफारिशें नहीं की गई हैं।

Common Script

2363. **Shri O. P. Tyagi** : Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to invent one script for all Indian languages in order to bring these languages closer to one another as also to forge national unity :

(b) if so, the steps taken by Government in this direction ;

(c) the names of State Governments which are in agreement with the Central Government's suggestions in this regard ; and

(d) whether Government propose to introduce the common script in these States and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) :

(a), (b)and (c) : There is no proposal to invent a new script for all the Indian Languages. But with the guidance of an expert committee of linguists and scholars from all lingustic areas, the Devanagri script has been suitably enlarged to serve as an additional script for all the Indian languages.

A pamphlet containing the modified script along with samples of its application to the various regional languages, has been brought out. Its copies have been widely circulated. No formal comments of any State Government have been received so far.

(d) Does not arise.

हवाई अड्डा अधिकारी

2364. **श्री प० गोपालन :** **श्री अब्राहम :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 20 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5077 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैट्रिक न पास श्रेणी-2 के हवाई अड्डा आप्रेटरों को श्रेणी-1 के हवाई अड्डा आप्रेटरों के पदों पर पदोन्नत करने के लिये उनकी शैक्षिक अर्हताओं की शर्तों में नर्मी करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) जी, हाँ, सरकार ने यह निर्णय किया है कि ग्रेड II नॉन-मैट्रिक विमान क्षेत्र परिचालकों को ग्रेड 1 विमानक्षेत्र परिचालक के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र समझा जाय, बशर्ते वे पदोन्नति के लिए पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों, अर्थात् वे नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लें।

Lunch Allowance for Delhi Policemen on Duty on Republic Day

2365. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only 50 paise where paid for lunch to each Policeman posted on duty for maintaining order on the Republic Day this year ;

(b) whether it is also a fact that in preceding years Rs. 1.25 were paid for lunch ; and

(c) if so, the reasons for paying only 50 paise this time ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a), (b) and (c) : In accordance with the sanction issued in 1966, policemen who remain on duty for a period exceeding 9 hours, are entitled to free food or cash allowance of Rs.1.25 in lieu thereof. Allowance at this rate was paid to policemen wherever admissible, in 1967 and

the same procedure was followed on the occasion of the Republic Day 1968. In addition, as a welfare measure,all non-gazetted police officers were given refreshment worth Rs.0.50 paise before they were detailed on duty on Republic Day 1968.

Vanasthali Aerodrome

2366. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the **Minister of Toursim and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Vanasthali Aerodrome in Rajasthan into a military aerodrome ;

(b) whether Government also propose to introduce private air service at this aerodrome in order to facilitate the training of women trainees ; and

(c) if so, the time by which the said schemes would be implemented ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) There is no such proposal before Government. A private party holding a non-scheduled permit has, however, recently been operating through this airport.

(c) Does not arise.

राजनैतिक दलों की स्वयंसेवक सेनाएं

2367. **श्री एस्थोस :** **श्री नम्बियार :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राजनैतिक दलों के पास अपनी स्वयंसेवक सेनाएं हैं; और

(ख) प्रत्येक दल की स्वयंसेवक सेना में कितने-कितने स्वयं सेवक हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है।

एक अमरीकी राष्ट्रजन का नियत से अधिक समय भारत में ठहरना

2368. **श्री एस्थोस :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री चक्रपाणि : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1968 के दैनिक समाचार पत्र 'पेट्रियाट' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी पारपत्र के साथ एक विदेशी राष्ट्रजन आसाम में ठहरा हुआ है जिसके भारत में ठहरने के परमिट की अवधि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो गई थी परन्तु वह अभी तक वहां पर ठहरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है और उसके ठहरने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसको देश छोड़ जाने के लिये कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है। निर्दिष्ट विदेशी राष्ट्रजन असम सफरीज (प्रा०) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री एम डबल्यू० चेपमैन हैं, जो कि असम में संचालित पर्यटनों का प्रबंध करती है। वह एक ब्रिटिश राष्ट्रजन हैं, इसलिये उसे ठहरने का परमिट रखने की आवश्यकता नहीं हैं। परन्तु ऐसी रिपोर्ट मिली है कि असम में ठहरने के लिये उसके सीमित-क्षेत्र के परमिट की अवधि 21 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो गई थी, परमिट के नवीकरण के लिए उसका आवेदन अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

गांधी हरिजन विद्यालय (दिल्ली)

2369. **श्री एस्थोस :** **श्री भगवान दास :**
श्री रमानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के भदनगीर स्थित गाँधी हरिजन विद्यालय में धन के कथित गबन के बारे में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) : यह मामला दिसम्बर, 1965 से दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगें

2371. **श्री गणेश घोष :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध कालिजों के वे कर्मचारी जो अध्यापन कार्य नहीं करते अपनी माँगों के लिये आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) और (ख) : विश्वविद्यालय और कालिज कर्मचारी संघ, दिल्ली से विश्वविद्यालय को प्राप्त माँगों का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 285/68**)

(ग) विश्वविद्यालय सांविधिक स्वायत्त निकाय होने के कारण सरकार की ओर से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के द्वारा कर्मचारियों की तकलीफों की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जा चुकी है।

गृह-मंत्री की गोआ यात्रा

2372. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ यात्रा के दौरान गृह-मंत्री द्वारा दिये गये सभी आश्वासनों पर अमल कर लिया है;

(ख) उनकी यात्रा के दौरान गोआ के लोगों ने क्या अभ्यावेदन दिये थे; और

(ग) उनकी कठिनाइयाँ दूर करने में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क), (ख) और (ग) : गोआ यात्रा के दौरान गृह मंत्री जी को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से कुछ स्थानीय प्रकृति के थे, तथा वे जनमत को प्रभावित करने वाले नेताओं से मिले भी थे जिन्होंने उन्हें गोआ की कुछ समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ बताई थीं। गृह मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किये जाने का आश्वासन दिया। इन पर ध्यान दिया जा रहा है।

नई दिल्ली में संसद्-भवन के निकट गिरफ्तार किये गये लोग

2373. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा संसद-भवन के क्षेत्राधिकार के अन्दर गत छै महीनों में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ख) पुलिस ने न्यायालयों में कितने मामले सिद्ध किये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) संसद भवन के समीपवर्ती क्षेत्र में प्रथम अगस्त 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक की अवधि में 40 मामलों में 391 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ख) चालीसों मामले न्यायालयों में चलाये गये तथा सारे अभियुक्तों को दंड दिया गया।

कानून और व्यवस्था के बारे में राज्यों से रिपोर्ट

2374. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "कानून और व्यवस्था" की स्थिति के बारे में राज्यों से समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों से सामान्य प्रकार की सामयिक रिपोर्टें आती हैं, जिनमें विधि और व्यवस्था की स्थिति का पुनरीक्षण भी समाविष्ट होता है। यह रिपोर्ट प्रधानतः केन्द्रीय सरकार की सूचनार्थ होती हैं, तथा आवश्यक होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

महाजन आयोग

2375. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, महाराष्ट्र और केरल के सीमा विवादों के संबंध में विचार करने के लिये महाजन आयोग की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या इस व्यय को केवल केन्द्रीय सरकार ने वहन किया है अथवा संबंधित राज्य सरकारों ने भी वहन किया है;

(ग) अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सरकार को कितना समय लगा है ; और

(घ) आयोग की नियुक्ति के समय कितने समय प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने का अनमान लगाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) सन् 1966-67 और 1967-68 के दौरान रु० 1,44,553.30

(ख) व्यय केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है।

(ग) लगभग 9½ महीने ।

(घ) समय का कोई अनुमान नहीं लगाया गया था।

एयर इंडिया के लिए सुपारी, कैंडी आदि की खरीद

2376. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा गत 3 वर्षों में वर्षवार विमानों में कितनी कैंडी, सुपारी, कानों में लगाने की रुई, टूथपिक्स और ड्राई तौलिये यात्रियों की सेवा में प्रयोग किये गये तथा उनका मूल्य कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों में किन-किन सप्लायरों को कितनी-कितनी राशि के वार्षिक ठेके दिये गये तथा ये ठेके किस प्रकार दिये गये और यदि बिना टेंडर मांगे ठेके दिये गये तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या विमान की प्रत्येक उड़ान से पहले अथवा बाद में माल देने अथवा प्राप्त करने के लिये कोई स्टाक रजिस्टर रखे जाते हैं;

(घ) क्या कोई अधिकारी इन रजिस्टरों की जांच करता है; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में विमान चालक कर्मचारी बाकी बची हुई इन वस्तुओं को घर ले जाते हुए अथवा हवाई अड्डों पर स्थित जलपान-गृहों को बेचते हुए पकड़े गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 286/68]**

(ग) और (घ) जी हां ।

(ङ): जी नहीं।

एयर इंडिया द्वारा मद्यसारिक तथा गैर-मद्य सारिक पेयों की खरीद

2377. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया ने गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के मद्यसारिक तथा गैर-मद्यासारिक पेय खरीदे तथा किन-किन से खरीदे और प्रत्येक को प्रतिवर्ष कितने-कितने मूल्य का ठेका दिया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में मद्यसारिक पेयों की बिक्री से प्रति वर्ष कितना धन प्राप्त हुआ; और

(ग) गत तीन वर्षों में मद्यसारिक पेय चुराते हुए पकड़े गये चालक कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या है और प्रत्येक को क्या-क्या दण्ड दिया गया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 287/68]**

(ख) पिछले तीन वर्षों में एकत्रित की गयी राशियां नीचे दी गई हैं:—

1964–65	7,75,950 रुपये	इन राशियों में सिगरेटों
1965–66	8,54,219 रुपये	की बिक्री से होने वाली
1966–67	12,27,487 रुपये	आय भी सम्मिलित है।

(ग) ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ है।

निजी थैलियों को समाप्त करना

2378. **श्री बाबूराव पटेल :**
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में भूतपूर्व शासकों के साथ हो रही बातचीत इस समय किस अवस्था में है;

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व शासकों ने धमकी दी है कि यदि सरकार ने प्रशासनिक कार्यवाही करके उनकी निजी थैलियों और विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप किया, तो वे कानूनी कार्यवाही करेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक भूतपूर्व शासक अपने विशेषाधिकार त्याग देने के लिये सहमत हो गये हैं यदि उनकी निजी थैलियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस विषय में कब तक कोई अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) 26 दिसम्बर, 1967 को शासकों के साथ हुई बैठक में गृह-मंत्री ने शासकों की निजी थैलियाँ और विशेषाधिकार को समाप्त करने का सरकार का इरादा उनको बतलाया था। इस पर शासकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस संबंध में शासकों से कोई पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) वर्तमान अवस्था में यह बतलाना संभव नहीं है कि अंतिम निर्णय में ठीक कितना समय लगेगा।

बंगलौर विश्वविद्यालय के परिसर में पुलिस का घुसना

2379. **श्री नम्बियार :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी, 1968 को पुलिस बंगलोर विश्वविद्यालय के परिसर में उपकुलपति की अनुमति के बिना घुस गई थी और उसने गोली चलाना और छात्रों को पीटना आरम्भ कर दिया ?

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने छात्र तथा अध्यापक घायल हुए; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार से न्यायिक जाँच कराने के लिये अनुरोध किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :(क) और (ख) : मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस बंगलौर विश्वविद्यालय के अहाते में घुसने से पहले उपकुलपति की अनुमति नहीं ले सकी क्योंकि कुछ शरारती लोग गुरजरने वाले कारों पर पत्थर फेंकने के बाद एकदम विश्वविद्यालय के अहाते में घुस गए थे और उन्हें आगे शरारत करने से रोकना था। यह सच नहीं है कि पुलिस ने एकाएक गोली चलाना और छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किसी को आहत किये बिना हवा में गोली चलाई। सभी प्रयास विफल हो जाने पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने न्यूनतम शक्ति का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप 21 अध्यापकों और छात्रों को चोटें पहुँचीं।

(ग) जी नहीं। मामले का संबंध मूलत: मैसूर की राज्य सरकार से है।

भारतीय नौवहन

2380. **श्री नम्बियार :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री भारतीय नौवहन के बारे में 20 दिसंबर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4995 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा चुकी है और 20 दिसंबर, 1967 को लिखित प्रश्न संख्या 4995 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति अलग से की जा रही है। सूचना इस प्रकार है :—

व्यापार	(वर्ष 1966-67) भारतीय पत्तनों द्वारा धरा-उठाई किया गया संपूर्ण माल (टन)	भारतीय नौवहन का प्रतिशत भाग
समुद्रपार व्यापार	40647582	14.1 प्रतिशत
सूखे माल का तटीय व्यापार	2572593	100.0 प्रतिशत
तेल का तटीय व्यापार	3019369	21.4 प्रतिशत

राजनीतिक पेंशनें

2381. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भूतपूर्व शासकों तथा उनके उत्तराधिकारियों की निजी थैलियाँ तथा विशेषाधिकार समाप्त करने का प्रस्ताव है किन्तु भूतपूर्व शासन परिवारों के अनेक उत्तराधिकारी 150 वर्षों से भी अधिक समय से पेंशनें प्राप्त कर रहे हैं जो भूतपूर्व राजाओं के इन विशेषाधिकारों की समाप्ति की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत नहीं आती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन पेंशनों को समाप्त करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इन पेंशनों पर सरकारी खजाने से प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह निश्चय किया है कि संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (22) में परिभाषित शासकों की निजी थैलियाँ तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिये जायं। राजनीतिक पेंशनों के प्रश्न पर जिन पर वर्तमान में लगभग 23 लाख रुपये की रकम वार्षिक खर्च की जा रही है अभी पूर्णतः विचार नहीं किया गया है।

जम्बो जेट विमानों के लिये हवाई अड्डों का विकास

2382. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्बो जेट विमानों के उतरने तथा उड़ान भरने के लिये देश में हवाई अड्डों में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये किन-किन हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च आएगा ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग) जम्बो जेट तथा एस० एस० टी० विमानों के चालू करने के संदर्भ में, श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की आवश्यकताओं पर विचार कर रही है। समिति की अन्तरिम रिपोर्ट के शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

हरियाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इंजीनियरी के विद्यार्थियों की हड़ताल

2383. **श्री भगवान दास :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री रमानी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इंजीनियरी और वास्तु-शिल्प कला के विद्यार्थियों ने अपनी माँगों को पूरा कराने के लिये 16 जनवरी, 1968 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी हाँ।

(ख) छात्रों की मुख्य माँग यह हैं कि तकनीकी कर्मचारियों को रोज़गार के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।

(ग) तकनीकी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के विविध उपाय सरकार के विचाराधीन हैं।

तिहाड़ जेल, दिल्ली

2384. **श्री अदिचन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तिहाड़ सेण्ट्रल जेल का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी दौलत आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लाठी प्रहार

2385. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1968 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठी-प्रहार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितने छात्र घायल हुए थे;

(ग) क्या सरकार ने कोई न्यायिक जाँच कराने का आदेश दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) 8

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) मामले की जाँच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई थी। हरियाना सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि मामले के हालातों को देखते हुए न्यायिक जाँच की आवश्यकता नहीं थी।

Registration numbers of Vehicles in Hindi

2386. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Minister of Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the writing of Registration number in Hindi and Devanagari script on Motor vehicles is not permissible under the Motor Vehicles Act; and

(b) if so, whether Government propose to amend the Act to this effect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transort and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :

(a) Under the Motor Vehicles Act, 1939, the registration mark should be as set out in the Sixth Schedule thereto and that Schedule indicates letters in English. Under the Constitution, all numerals should be in the international form of Indian numerals.

(b) No such proposal is under consideration at present.

Pro-Mao Propaganda Posters in Kerala

2387. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large scale propaganda of sayings of Mao Tse Tung has been made through posters in various cities in Kerala since December, 1967 ;

(b) whether it is alslo a fact that advertisements have been published also for the sale of Mao's book published by a Calcutta firm ; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Facts are being ascertained frm the State Government.

(b) Advertisements for the sale of Mao's publictions have appeared in "Deshabrati" a Bengali weekly of the extremist section of the CPI (M) and in the official organs of the CPI(M).

(c) Action taken by State Governments is being ascertained.

Terminology in Regional Languages

2388. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the difficulties arising in the working of Central agencies in the States for want of standardised terminology in varous regional languages; and

(b) if so, the steps taken by the Central Government for preparing standardised terminology in various regional languages ?

Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Sher Singh) : (a) and (b) No such difficulties have been brought to the notice of this Ministry. However, the Commission for Scientific and Technical Terminology, which has been

charged with the responsibility for evolving a standardised terminology, finalises the term in collaboration with experts and specialists from various regions of the country with a view to achieving maximum possible identity among all regional languages. The glossaries prepared by the Commisson so far have been referred to the State Goverments for adoption/adaptation according to the genius of their respective languages.

कलकत्ता में मार्क्सवादियों की गुप्त बैठक

2389. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 नवम्बर, 1967 को पुलिस ने कुछ साम्यवादी नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को उस समय गिरफ्तार किया था जब वे 106 उल्टाडांगा मेन रोड कलकत्ता में गुप्त बैठक कर रहे थे; और

(ख) क्या इस सिलसिले में पकड़े गये कागजों से पता चला है कि वे तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने तथा छापामार युद्ध करने की योजना बना रहे थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान्।

Central Vigilance Commissioner

2390. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :-

(a) the number of cases investigaged into by the Central Vigilance Commissioer during December, 1967 and January,1968;

(b) the number of persons prosecuted and convicted separately durig the aforesaid period; and

(c) the number of gazetted officers among those against whom investigations have been made?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) and (c) During December, 1967 and January, 1968 the Commission asked for investigation to be made in respect of 19 complaints which inter alia related to seven gazetted officers.

(b) During these two months the Commission recommended prosecution of one gazetted officer.

Action under official Secrets Acts

2391. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government employees arrested in Uttar Pradhesh, Kashmir, Delhi, Punjab and Himachal Pradesh under the Official Secret Act since January, 1962 so far ;

(b) the number of gazetted and non-Gazetted employees among them separately ; and

(c) the number of persons prosecuted, the number of persons against whom charges were proved in the courts and the number of cases still pending in the courts ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) , (b) and (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सोचते हैं कि दिल्ली और इलाहाबाद उनपर हावी होना चाहते हैं। हमें उनके मन से यह संदेह दूर करना है। दक्षिण के लोग यहां आकर संसद की कार्यवाही को भी नहीं देख सकते। आज हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही हैं।

मैं शुरू से अन्त तक भारतीय हूँ। लोगों में ऐसी ही भावना पाई जानी चाहिये।

सरकारी पक्ष को बार-बार यह तर्क नहीं देना चाहिये कि उनके पास धन की कमी है। यदि प्रत्येक वर्ष हम एक घोटाले को रोकें तो हमारे पास बहुत धन जमा हो सकता है।

क्या आप भारत की प्रगति करना चाहते हैं या आप उसे पिछली शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। यदि आप वर्तमान स्थिति के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको फाइल ढूंढ़ने के लिये संगणकों को उपलब्ध कराना होगा। देश की एकता के लिये मैं यह चाहता हूँ कि भारत की राजधानी को दक्षिण में ले जाया जाना चाहिये।

इस पर जो खर्च आयेगा वह बहुत मामूली होगा और इससे बहुत अधिक लाभ होगा। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास करेगी।

इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार करने के लिये हमें एक समिति का गठन करना चाहिये। प्रथम वर्ष का प्रयोगात्मक सत्र तीन सप्ताह का होना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : अनुच्छेद 85 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है, क्या यह विधेयक आवश्यक है :—

"राष्ट्रपति समय-समय पर संसद् के प्रत्येक सदन को, ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा"

राष्ट्रपति को संसद् का सत्र बुलाने के लिये काफी अधिकार दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक सभा के समक्ष है और इस सम्बन्ध में हमें निर्णय लेना है।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : यह प्रसन्नता की बात है कि अधिशकां सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि संसद् का एक सत्र दिल्ली से बाहर किया जाना चाहिये और विशेष रूप से इसे बंगलौर में करने पर जोर दिया गया है। वर्तमान सत्र में सदन के उपनेता श्री हनुमन्तैय्या ने इस सम्बन्ध में पहल की थी। उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं से भी इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था और उन्होंने संयुक्त रूप से याचिका प्रस्तुत की थी। इस याचिका के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है।

अधिकतर देशों जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका या कनाडा में संसद् का सत्र एक ही स्थान पर होता है। हमारे देश में राज्य की बहुत सी विधान सभाओं का सत्र एक से अधिक स्थानों पर हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में कोई निर्धारित नियम नहीं है।

यदि सदस्य यह चाहते हैं कि संसद् का एक सत्र बंगलौर या अन्य स्थान पर हो, तो इस बात की पूरी जाँच की जायेगी। इस सम्बन्ध में सदस्यों के लिये आवश्यक जगह के लिये हमने राज्य सरकार को लिखा है। राज्य सभा और लोक सभा दोनों ही सचिवालयों को वहाँ ले जाना होगा। हमने इस सम्बन्ध में भी पूछताछ की है कि यदि हम वहाँ एक सत्र 1 महीने

या दो महीने का बिना प्रश्नकाल के करें तो हमें वहाँ कितने अधिकारियों को ले जाने की आवश्यकता होगी ।

बहुत सी ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हमें उनके साथ भी न्याय करना है। जो शक्तिशाली हैं वे अपनी भाषा को संविधान में शामिल करवाने में सफल हो जाते हैं जो शक्तिशाली नहीं हैं, उनकी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाती। जहाँ तक अनुवाद की सुविधा का सम्बन्ध है हम इस सम्बन्ध में जाँच करवायेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair.]

सदस्यों के लिये 1,000 से अधिक टेलीफोनों की आवश्यकता होगी । इन सब बातों का प्रबन्ध करना होगा। कारखाना केवल एक महीने में इतना कुछ करने में समर्थ नहीं होगा। इससे मामले से सम्बद्ध मंत्रालयों से भी विचार-विमर्श किया जायेगा। मेरे विचार से इस मामले में एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से निवेदन करूँगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें ।

मैं सदस्यों के सुझाव से सहमत हूँ। हमें इस सम्बन्ध में जाँच करनी चाहिये । हमें इस सम्बन्ध में विपक्षी दलों के नेताओं और सदन के उप-नेता से विचार-विमर्श करना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri: This Bill has got the support of almost all the sections of the House. Therefore, the Government should agree in principle for convening the Session of the House for at least once a year in South.

The Hon. Minister has connected the question of Capital with that of Session of Parliament. These are two separate things.

The Hon. Minister has referred regarding difficulties of accommodation. If the Government once agree to convene the Session of Parliament in Bangalore or Hyderabad, the difficulties of accommodation etc. will be met.

In case of convening the Session of Parliament in South people will be able to undertstand each other. It will also help in exchange of cultural activitivs

I am pleased that Dr. Ram Subhag Singh has agreed to formulate a Committee in the matter. All this matter will be referred to that Committee and they will be considered. If the Hon. Minister assures the House that he accepts this as a matter of principle, I will have no objection in withdrawing this Bill.

डा० रामसुभग सिंह : हमें इस सम्बन्ध में जांच करवाने के लिये सहमत हैं। माननीय सदस्य अपना विधेयक वापिस ले लें। सब बातों पर विचार कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Bill was, by leave, withdrawn

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 156 का प्रतिस्थापन तथा नये अनुच्छेद 159-क का रखा जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Substitution of Article 156 and Insertion of New Article 159-A)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

संविधान के अनुच्छेद 156 में उल्लेख किया गया है कि :—

(1) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा ।

(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

इसके स्थान पर मैं इस आशय का संशोधन रखना चाहता हूँ कि

राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष पश्चात् तक पद धारण करेगा ।

2. राज्यपाल स्वयं विधान सभा के अध्यक्ष को जिस राज्य में दो सदन हैं, विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति को, लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा; तथा संविधान के उल्लंघन के कारण राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 159–क के अन्तर्गत उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।

संसदीय प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है । जिन लोगों का संसदीय प्रणाली की सफलता में विश्वास है उन्हें देश में विघटनकारी तत्वों को देखकर बहुत दुख होता है ।

जनता का चुनाव द्वारा सरकार बदलने के अधिकार पर से विश्वास उठता जा रहा है और उसे असंवैधानिक तरीके अपनाने के लिये बाध्य किया जा रहा है । जिन दलों ने यह स्थिति पैदा की है मैं उनकी निन्दा करता हूँ। वास्तव में इसके लिये सबसे पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस दल दोषी है जिसने 1967 के चुनावों में जनता द्वारा ठुकराये जाने पर भी निर्वाचकों के निर्णय को मानने की अपेक्षा दल परिवर्तन आदि करने के तरीके अपनाये। अन्त में उसने राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करके अल्पमत सरकारों की स्थापना की और इस प्रकार वह बिना दायित्व के सत्ता में भागीदार हो गया ।

पश्चिमी बंगाल सभा में सदस्यों द्वारा पैदा किए गये दुर्भाग्यपूर्ण दृश्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने राज्यपाल का अपमान किया विशेषकर जब हम सभा के विनिर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे और जबकि उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को वैध करार दिया था। वहां के अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही में बाधा डाली । राज्यपाल के साथ मुझे पूर्ण सहानुभूति है, वह अपने कर्त्तव्य में खरे उतरे ।

यह दुःख की बात है कि कांग्रेस दल के हितों की रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्यपालों द्वारा विभिन्न स्तर अपनाये जाते हैं । कोई एक स्तर नहीं है । गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा मार्ग दर्शन के लिये कोई सिद्धान्त नहीं बताये जाते ।

राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उस पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

राष्ट्रपति भारत का मुख्य कार्यकारी है और राज्यपाल भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्य कार्यकारी हैं। उन्हें संवैधानिक मुखिया के रूप में निर्वाचित बहुमत प्राप्त सदस्यों की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों का मंत्रिमंडल की सहायता और मंत्रणा द्वारा कार्य किया जाता है और वे ही चुने गए विधायकों के प्रति जुम्मेदार होते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद में रहता है। राष्ट्रपति भारत सरकार की मंत्रि-परिषद् की मंत्रणा पर कार्य करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार की मंत्रि परिषद् के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, अतः राज्यपाल के विशेषाधिकार राष्ट्रपति से अधिक हैं। राज्यपाल जनमत, अथवा किसी लोकतंत्री सिद्धान्त अथवा परम्परा की परवाह नहीं करते। वह तो केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक वह राष्ट्रपति को प्रसन्न रखता है तो उसका पद सुरक्षित है।

1967 से पूर्व राज्यपालों के कार्य के सम्बन्ध में किसी को कोई परवाह नहीं थी। अधिकांश राज्यों में गैर-कांग्रेस सरकारों और केन्द्र में कांग्रसी सरकार के होने के कारण संविधान का संघीय रूप एक कठिन परीक्षा में पड़ गया है। यह स्वाभाविक ही है कि जब राज्यपाल अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं और विधान सभाओं की परवाह नहीं करते हैं तो जनता के दिमाग में राज्यपालों की उपयोगिता के बारे में आन्दोलन आरम्भ हो जाता है। राज्यपालों को जनता के लिये अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध भी आवश्यकता पड़ने पर महाभियोग चलाया जाना चाहिये।

मध्यप्रदेश विधान सभा में जब बजट पर चर्चा की जा रही थी तो मुख्य मंत्री की सलाह पर जिसे सभा में बहुमत प्राप्त नहीं था, नए राज्यपाल ने सत्रावसान किया। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने विधान सभा की सत्र होने से एक दिन पूर्व त्यागपत्र दे दिया उनमें यह साहस नहीं था कि वह सभा का सामना करते।

पंजाब में राज्यपाल ने केवल एक दिन की भी प्रतीक्षा नहीं की जबकि श्री गुरनाम सिंह ने 24 घंटे और प्रतीक्षा करने का निवेदन किया था। इसी प्रकार बिहार में अल्पसंख्यक सरकार की स्थापना की गई। इसका कारण यह है कि राज्यपाल जनता की राय की परवाह नहीं करता क्योंकि संविधान में इसको हटाने की व्यवस्था नहीं है।

इस सम्बन्ध में गृह-मंत्री को पथ प्रदर्शित करना चाहिये। आपने निर्देश नं० 121 में सिद्धान्त निर्धारित किए हैं।

अध्यक्ष को चाहिये कि वह सरकार को यह निर्देश दें कि उसे राज्यपाल को यह निर्देश देना चाहिये कि जब तक विभिन्न ग्रुप अथवा दल किसी प्लेटफार्म से चुनाव नहीं लड़ते और संसद् में और उसके बाहर भी कार्य नहीं करते तब तक उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तब ही लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकेगी।

केरल को आवंटित चावल के मूल्य के बारे में**

RE : PRICES OF RICE ALLOTTED TO KERALA**

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : केन्द्र द्वारा केरल को चावल सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में अभी विवाद चल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि केरल को चावल सप्लाई किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार को भारी हानि हो रही है।

केरल सरकार ने हाल ही में कहा है कि केन्द्रीय सरकार केरल को खाद्यान्न की सप्लाई से लाभ कमा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार केरल के लोगों के दुखों तथा कठिनाइयों से लाभ कमा रही है और यदि हां तो मैं कहूँगा कि यह सरकार कालाबजार करने वालों की है। यह बात श्री शिन्दे द्वारा दिए गए आँकड़ों से भी स्पष्ट हो जाती है। आँध्र से मोटा चावल 69 रुपए तथा मद्रास से 64.50 रुपए प्रति क्विंटल खरीद किया जाता है। परन्तु यही चावल केरल को 96 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सप्लाई किया जाता है। रेलवे मालभाड़ा जमा करने के बाद केन्द्रीय सरकार को 19 से 23 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा होता है। जहाँ तक आँध्र तथा मद्रास के बढ़िया किस्म के चावलों का सम्बन्ध है इनका वसूली मूल्य क्रमश: 90 तथा 80 रुपए हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार इसको 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से केरल सरकार को सप्लाई करती है। इसी प्रकार उच्च कोटि के चावल की सप्लाई पर सरकार मुनाफा अर्जित कर रही है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इन आरोपों का स्पष्टीकरण करें।

पिछले तीन वर्षों में मोटे चावल का मूल्य पाँच बार बढ़ाया गया है। पहली बार जनवरी, 1965 में मूल्य 43 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 63 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। अन्तिम बार हाल ही में यह मूल्य 80 रुपए से बढ़ाकर 96 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल्य में 122 प्रतिशत वद्धि की गई है यद्यपि केन्द्रीय सरकार मूल्यों को कम करने की बात कह रही है। इस मूल्य वद्धि से लोगों के जीवन निर्वाह पर प्रभाव पड़ेगा। इस कारण लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। अत: में जानना चाहता हूँ कि इस अवधि में अर्थात पिछले तीन वर्षों में धान के मूल्यों में भी इसी सीमा तक वद्धि हुई है। श्री जगजीवन राम ने यह कह कर इस बात को उचित ठहराया है कि आँध्र तथा मद्रास राज्य में खेतिहरों को उचित मूल्य देना होता है। परन्तु मेरी शिकायत तो सरकार के विरुद्ध है जो केरल के लोगों का शोषण कर रही है। केरल सरकार से जो मूल्य वसूल किया जा रहा है वह आँध्र प्रदेश तथा मद्रास के खेतिहरों को नहीं दिया जा रहा बल्कि केन्द्रीय सरकार उसमें से मुनाफा कमा रही है और हमारे खाद्य मंत्री, श्री जगजीवन राम इसमें कालाबाजार कर रहे हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि कालाबाजार का धन श्री जगजीवन राम को जाता है।

श्री पें० गोपालन: मने खाद्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आँकड़ों की व्याख्या की है। माननीय मंत्री ने उनको सुना नहीं है इसलिये आपत्ति उठा रहे हैं। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा

**आधे घंटे की चर्चा

**Half an hour discussion.

रहा हूँ। वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के भारसाधक हैं। इसलिये मैंने उनके नाम का उल्लेख किया था।

केरल सरकार ने चावल के मूल्यों में वृद्धि न करने का दृढ़ निश्चय किया है। इससे केरल सरकार पर बहुत वित्तीय बोझ पड़ेगा परन्तु यह लोगों की कठिनाइयों को दूर करना चाहती है।

श्री नायनार ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि नवम्बर 1967 से जनवरी 1968 तक केरल के लिये कितने चावल का नियतन किया गया है। परन्तु मंत्री महोदय ने उत्तर यह दिया है कि नवम्बर 1967 से जनवरी 1968 तक केन्द्रीय पूल से केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम को 1.37 लाख का नियतन किया गया है। उसी दिन श्री कछवाय के प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण में बताया गया था कि उपरोक्त अवधि के दौरान केरल को 90,400 टन चावल दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को अपना भाषण अब समाप्त करना चाहिये। सभा छः बजे स्थागित कर दी जायेगी चाहे मंत्री महोदय उत्तर दें अथवा न दें।

श्री विमला कांति घोष (सेरामपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। घंटी बजाई जा रही है।

श्री पें० गोपालन: एक स्थान पर उन्होंने 1,37,000 टन कहा है और दूसरे स्थान पर 90,400 टन कहा है। इस प्रकार वह लोगों में भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। वह यह प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार तो अधिक से अधिक चावल सप्लाई कर रही है परन्तु केरल सरकार राशन की दुकानों की मारफत इसका उचित ढंग से वितरण नहीं कर रही है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को केरल जैसे घाटे वाले राज्य की सहायता करनी चाहिये। हमारे किसान नकद फसलों की खेती कर विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। माननीय मंत्री को सभी बातों पर विचार कर स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने वालों से यह आशा की जाती है कि वे अपने नाम पहले से मेरे पास भेज दें। इस समय मेरे पास श्री कंवर लाल गुप्ता का नाम ही आया है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपने विचार व्यक्त करें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I fully support the view expressed by my hon. friend just now. There is no justification for raising the price of rice to such an extent. I think it has been done to meet the top heavy administrative expenditure of the Food Corporation of India. In this connection I may quote that the wheat which was supplied to the people in Delhi at Rs. 103 per quintal through ration shops is now sold at 90 per quintal in the open market. If the zonal restrictions are removed and Delhi is merged in the Haryana and Punjab-one it will come to 90 rupees per quintal.

The Government has also withdrawn the subsidy on wheat. This is an anti-poeple Act.

Whatever Government may be there in Kerala, the Central Government cannot wash his hands from the responsibility of supplying the people to meet both ends. I think only 50 percent of their demand is met. This gap should be bridged.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): माननीय सदस्य श्री पें० गोपालन ने केरल को सप्लाई किए जाने वाले चावल के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा उठाई है। यह अच्छा होता यदि वह इस बारे में कुछ सुझाव भी दे देते।

माननीय सदस्य ने तथ्यों को तोड़मोड़ कर पेश किया है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि केन्द्रीय सरकार इससे मुनाफा कमा रही है। वास्तव में केरल सरकार को भी केरल के किसानों को चावल की वसूली के लिये मिल पर 103 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य देना पड़ता है जबकि केन्द्रीय सरकार उनको 96 रुपए प्रति क्विंटल चावल सप्लाई करती है।

केन्द्रीय सरकार ने न केवल केरल को बल्कि समूचे देश को चावल सप्लाई करने के मूल्यों के बारे में निर्णय किया है। सिद्धान्त यह है कि सभी राज्यों द्वारा दिए जाने वाले चावल के मूल्यों को पूरा कर लिया जाता है इसपर जो 'इकानामिक' मूल्य निकलता है उसपर केरल को चावल सप्लाई किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो विभिन्न राज्यों से वसूल होने वाले चावल का मूल्य अलग-अलग हो। उदाहरणतया मध्य प्रदेश में वसूल किए जाने वाले चावल की लागत 101 रुपए तथा कुछ पैसे प्रति क्विंटल आती है। परन्तु इस चावल को भी केन्द्रीय सरकार 96 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दे रही है।

इसके अतिरिक्त हम विदेशों से चावल का आयात करते हैं और उसका अधिकांश भाग केरल को सप्लाई किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से क्रय किए गए चावल की 'इकनामिक' लागत 135 रुपए प्रति क्विंटल आती है। इसका अर्थ यह है कि केरल के सप्लाई किए जाने वाले प्रति क्विंटल चावल पर हम 39 रुपए की राज–सहायता देते हैं। केवल केरल के सप्लाई किए जाने वाले आयातित चावल पर सरकार को 5 करोड़ रुपए की राजसहायता देनी पड़ती है। यह ठीक है कि हमें अपने लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करना चाहिये परन्तु यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार इससे मुनाफा कमा रही है। गत वर्ष विभिन्न राज्यों को सप्लाई किए गए खाद्यान्न पर केन्द्रीय सरकार ने 134 करोड़ रुपए की राजसहायता दी थी। यदि इस वर्ष भी इसको जारी रखा जाता तो यह एकसौ करोड़ रुपए से अधिक हो जाता। इतना बोझ वहन करना केन्द्रीय सरकार की क्षमता में नहीं है। इस कारण केन्द्र ने यह निर्णय लिया है। यह कहना भी गलत है कि केन्द्रीय सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम का भाग बहुत अधिक है। यदि आंकड़ों को देखा जाये तो पता लगेगा कि गैर-सरकारी व्यापारियों की तुलना में भारतीय खाद्य-निगम बहुत कम लाभ ले रही है। यदि सरकारी क्षेत्र को खाद्यान्न का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती तो लोगों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : सभा 4 मार्च, 1968 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 4 मार्च, 1968/14 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 4, 1968/Phalguna 14, 1889 (Saka)

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad-3.